



HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
 Gauradevi Paryavaran Bhawan
 46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
 Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 05.09.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of O.A. No. 538 of 2022 titled as "Swarn Singh Versus state of uttarakhand & Ors.

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1.	Factual and Action Taken Report.	1 - 7
2.	ANNEXURE-1 : Inspection Report of Joint Committee along with Annexure- 1 & 34 .	8- 96

Date: 17.01.2023

Place: Dehradun

AT

[Signature]

[Signature]

[Faint text]

[Faint text]

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

Original Application No. 538 of 2022

In the matter of:

Swarn Singh

..... Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

..... Respondent

I. BACKGROUND:

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 538 of 2022, titled as "Swarn singh Versus State of uttarakhand & Ors." issued following directions on 05.09.2022:

XXX.....XXX.....XXX

3. *prima facie*, the averments made in the application raise question relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in sechedule I to the national green tribunal act 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a joint committee be constituted to verify the factual position. accordingly we consider a joint committee comprising of representation of state PCB, Director, Mines and Geology Uttarakhand, Divisional Forest Officers, RTOs and District Magistrate Nainital and Udham singh Nagar and direct the same to meet, undertake visits to the site into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and submit the report within one month by e mail at judicial -ngt @gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of image PDF. the state PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. In the case the joint committee observe any violation of consent conditions/environmental norms then it shall forward a copy of its report to :-

(i) the concerned project proponents to enable them to comply with the recommendation in its report or file objections against its observation/recommendations and file their response before this tribunal

AT

22

22

as desired within one month from the date of receipt of a copy of the report of the joint committee and

(II) the State PCB and Director, Mines and Geology, Uttarakhand to enable them to take appropriate remedial action by giving notice to/hearing the concerned project proponents and following due process of law in accordance with statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of illegal mining and environmental pollution/degradation and also for protection and improvement of environment and submit their action taken report within one month from the date of receipt of a copy of the report of the joint committee.

XXX.....XXX.....XXX

2. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 05.09.2022, inspection of all mining stretches located in area under question were carried out by the Joint Committee on dated 09.11.2022. Following officials were part of the Joint inspection team: -

- i) Shri Prakash Chandra Arya, Divisional Forest Officer, Ramnagar (Nainital).
- ii) Shri Rajpal Legha, Additional Director, Geology and Mining Department, Uttarakhand.
- iii) Smt Rekha Kohli, SDM, Kaladungi, Distt. Nainital.
- iv) Shri Rakesh Chandra Tiwari, SDM, Bajpur, Distt. Udham Singh Nagar.
- v) Shri Akshay Kumar Bhatt, Tehsildar Bajpur, Distt. Udham Singh Nagar.
- vi) Shri Nikhil Sharma, ARTO, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar.
- vii) Shri Naresh Goswami, Regional officer (I/c), Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar.

Beside above members of the Joint inspection Committee, following officials were also present during the inspection: -

- (i) Smt. Mamta Bhatt, SDO, Haldwani Forest Division, Haldwani (Nainital)
- (ii) Shri Umesh Chandra Arya, Range Officer, Tarai Central Forest Division, Rudrapur (US Nagar)
- (iii) Shri Sunil Kumar Arya, Assistant Environment Engineer, UKPCB, Regional Office, Kashipur, Distt Udham Singh Nagar.
- (iv) Shri Harish Chandra Joshi, Assistant Scientific Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani Distt Nainital

AI





It is reported by the Joint Committee that in compliance of Hon'ble NGT order, the appellant i.e. Sh Swarna Singh was also called to be present during vide letter of dated 29.10.202 and also requested telephonically, but appellant was not present during the inspection.

II. FACTUAL REPORT:

The Joint Inspection Report of Joint Committee along with Annexure- 1 to 31 is enclosed as **ANNEXURE-1**.

1. As per observations of the Joint Committee, a total of 6 permission were granted for labelling of private land and transport of excess minor minerals (sand, bajri, boulder) generated from labelling as per Uttarakhand Minor Mineral (Transport) (Amendment) Rules, 2021 by State Government.
2. The Additional Director, Geology and Mining Department, Uttarakhand has informed that except the permission of labelling of private land, no permission of mining was granted to stone crushers located in the area i.e. village Pattapani, Semalchod, District Nainital.
3. Details of the 06 permissions granted by the State Government is as given below:
 - a. Shri Himmat Singh S/o Shri Kartar Singh, Village Pattapani, Tehsil Kaladungi, Distt Nainital for labelling of 2.337 hectare private land and transport of minor-mineral generated from labelling of land in the village Pattapani, Kaladhungi, District Nainital.
 - b. Shri Subhash Chandra S/o Shri Tikaram, Village Durgapalpur Motiram, Tehsil Lalkuan, Distt Nainital for labelling of 2.470 hectare private land and transport of minor-mineral generated from labelling of land for operation in the Village Semalchod, Tehsil Kaladhungi, District Nainital.
 - c. Shri Kripal Singh S/o Shri Kartar Singh, Village Sood Colony, Tehsil Bajpur Distt. Udham Singh Nagar for labelling of private land and transport of minor-mineral generated from labelling of land in the village Semalchod, Tehsil Kaladhungi, District Nainital.

- d. Shri Karam singh S/o Shri Sucha Singh, Village Semalchod, Belparao, Tehsil Kaladunghi, Distt Nainital for labelling of private land and transport of minor-mineral generated from labelling of land in the village Semalchod, Tehsil Kaladhungi, District Nainital.
- e. Shri Sukhraj Singh S/o Shri Kulvant Singh, Village Bannakheda, Tehsil Bajpur Distt udham singh nagar for labelling of private land and transport of minor-mineral generated from labelling of land in the village Semalchod, Tehsil Kaladhungi, District Nainital.
- f. Shri Rajendra Singh S/o Shri Santosh Singh, Village Semalchod Distt Nainital for labelling of private land and transport of minor-mineral generated from labelling of land in the village Semalchod, Tehsil Kaladhungi, District Nainital.

The Additional Director, Geology and Mining Department informed that Shri Rajendra Singh S/o Shri Santosh Singh, Village Semalsod, Tehsil Kaladunghi Distt Nainital had not carried out any mining/labelling activity. Status of remaining 05 permission granted is as follows: -

S. No.	Name of the licensee	Permission period	Permission mining	Illegal mining (if any)	Penalty imposed by Mining & Geology, Deptt. (if any)
a	Shri Himmat Singh S/o Shri Kartar Singh, Village Pattapani Kaladunghi, Distt. Nainital	Approved on 12.11.2021 for 6 months.	2,24,354 cubic meters	1,35,792 cubic meters	Notice for imposing penalty of Rs. 10,45,59,840 was issued by District Magistrate Nainital on dated 05.05.2022.
b	Shri Subhash Chandra S/o Shri Tikaram, Village Durgapalpur, Tehsil Lalkuan, Distt. Nainital	Approved on 23.12.2021 for 6 months	2,76,640 cubic meters	1,74,400 Cubic meters	Notice for imposing penalty of Rs. 13,42,88,400 was issued by District Magistrate Nainital on dated 05.05.2022.

AT

2/1/22

c	Shri Kripal Singh S/o Shri Kartar Singh, Village Sood Colony, Tehsil Bajpur, Distt. Udham Singh Nagar	Approved on dated 22.10.2021 for 3 months.	1,44,693 cubic meters	2,00,547 cubic meters	Notice for imposing penalty of Rs. 15,44,21,400 was issued by District Magistrate, Nainital on dated 07.01.2022.
d	Shri Karam Singh S/o Shri Sucha Singh, Village Semalchod, Belparao, Tehsil Kaladunghi, Distt. Nainital.	Approved on 22.10.2021 for 6 months	35,214 cubic meters	22678.04 cubic meters	Notice for imposing penalty of Rs. 69,84,836 was issued by District Magistrate, Nainital on dated 07.01.2022.
e	Shri Sukhraj Singh S/o Kulvant Singh, Village Bannakheda, Tehsil Bajpur, Distt. Udham Singh Nagar.	Approved on dated 05.01.2022 for 6 months	1,28,000 cubic meters	No any illegal mining is reported by joint inspection team.	

The Joint Inspection Committee also highlighted following points: -

- i) Presently, neither any labelling/mining activity is observed there nor the vehicle(s) involved in transportation of mined material, were found.
- ii) All labelling/mining was carried out in private land and there is no mining in the forest area.
- iii) Ambient Air quality monitoring carried out on dated 09.11.2022 to 10.11.2022 was also reported within norms (PM₁₀ - 92.8 microgram/cubic meter and PM_{2.5} - 52 microgram/cubic meter.
- iv) None of the proponent has obtained Consent to Operate from Uttarakhand Pollution Control Board.

01

22

21/11/22

- v) All mining licences were expired in May 2022 and presently none of the mining is in operation in the area under question.

III. CONCLUSION

1. District Magistrate, Nainital has issued notices for penalty for 04 proponents (s.no. 'a' to 'd') regarding excess extraction of minor minerals.
2. Proponent at S. No 'f' has not done any labelling/mining activity.
3. Proponent at S. No 'e' has not made any excess extraction, but operated without consent to operate of State Pollution Control Board.
4. Proponents at S.no. 'a' to 'd' have made excess extraction of minor mineral and also not having requisite consent to operate from Uttarakhand Pollution Control Board.

IV. PROPOSED ACTION

Uttarakhand Pollution Control Board is in the process of taking action under the relevant environment act which includes imposition of environment compensation against the proponents mentioned at S. No. 'a' to 'e'.

=====********=====

AT



21/3

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-538/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा-183-622/2022/1112 दिनांक 03.10.2022 निम्नानुसार संयुक्त जांच समीति का गठन किया गया।

1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म ईकाई उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद-नैनीताल तथा उधमसिंहनगर।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जनपद-नैनीताल तथा उधमसिंहनगर।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।

(संलग्नक-1)

उक्त के अनुक्रम में दिनांक 09.11.2022 को संयुक्त जांच समीति द्वारा सम्बन्धित स्थलों ग्राम-सैमलचौड़ तथा ग्राम-पत्तापानी का निरीक्षण किया गया। संयुक्त जांच दल की उपस्थिति निम्नानुसार रही(संलग्नक-2)।

1. श्री प्रकाश चन्द्र आर्या, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर जनपद-उधमसिंहनगर तथा नैनीताल के सम्बन्धित सन्दर्भित क्षेत्र, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर की अधिकारिता में है।
2. श्री राजपाल लेघा (नामित सदस्य), अपर निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म ईकाई उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. श्रीमती रेखा कोहली, उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी, जिला- नैनीताल।
4. श्री राकेश चन्द्र तिवारी, उपजिलाधिकारी, बाजपुर, जिला-उधमसिंह नगर।
5. श्री अक्षय कुमार भट्ट, तहसील-बाजपुर, जिला- उधमसिंह नगर।
6. श्री निखिल शर्मा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रामनगर, जिला-नैनीताल।
7. श्री अशित कुमार झा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर।
8. नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।

इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे।

1. श्रीमती ममता चन्द्र, एस.डी.ओ., हल्द्वानी वन प्रभाग, जिला-नैनीताल।
2. श्री उमेश चन्द्र आर्या, रेन्ज ऑफीसर, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
3. श्री सुनील कुमार आर्या, सहा0 पर्या0 अभि0, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।
4. श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या यूकेपीसीबी/आर.ओ.के./रिट-80/22/542 दिनांक 29.10.2022 द्वारा आवेदक श्री स्वर्ण सिंह को भी संयुक्त जांच में सम्मिलित होने हेतु सूचित किया गया व जांच के



समय उपस्थिति रहने हेतु दूरभाष पर भी उनसे सम्पर्क किया गया, किन्तु उनके द्वारा उक्त जांच में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी(संलग्नक-3)।

1. संयुक्त जांच के दौरान अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित स्थलों ग्राम-पत्तापानी तथा ग्राम-सैमलचौड़, जिला नैनीताल में, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण योजित मूल आवेदन में चिन्हित स्टोन केशरों को किसी भी प्रकार से खनन की अनुमति जारी नहीं की गयी है। उक्त सन्दर्भित क्षेत्र में निम्नानुसार 06 अनुज्ञाधारकों को खनन अनुज्ञा सक्षम स्तर से जारी हुई है।


- (क) श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी-ग्राम-पत्तापानी, त0-कालाढूंगी, नैनीताल।
 (ख) श्री सुभाष चन्द्र, पुत्र श्री टीकाराम, निवासी, ग्राम-दुर्गापालपुर मोतीराम, त0-लालकुंआ, जिला नैनीताल।
 (ग) श्री कृपाल सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर।
 (घ) श्री करम सिंह, पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम-सैमलचौड़, बैलपडाव, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल।
 (ङ) श्री सुखराज सिंह, पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवास-ग्राम-बन्नाखेड़ा, त0-बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।
 (च) श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह, ग्राम-सैमलचौड़, बैलपडाव, जिला-नैनीताल।

अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित क्षेत्र में उक्तानुसार 06 अनुज्ञाओं में क्रमांक 'च' पर उल्लेखित अनुज्ञाधारक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह, ग्राम-सैमलचौड़ को ग्राम-सैमलचौड़, त0-कालाढूंगी, जिला-नैनीताल में अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी, किन्तु उनके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं किया गया है।

(क) श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी-ग्राम-पत्तापानी, त0-कालाढूंगी, जिला नैनीताल :-

- (1) जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 1572/30/जी0सी0/2020-21 दिनांक 10 सितम्बर 2021 तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून के पत्र संख्या 2854/खनन/भू0खनि0ई0/समतलीकरण/2020-21 दिनांक 03 नवम्बर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी-ग्राम-पत्तापानी, त0-कालाढूंगी, जिला नैनीताल को त0-कालाढूंगी के ग्राम पत्तापानी क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.337 है0 निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु तथा समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) की निकासी की 6 माह की अवधि हेतु उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1909/VII-A-1/2021-5 (31)/2021 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा सशर्त अनुज्ञा अनुमति प्रदान की गयी है(संलग्नक-4)।











- (II) उक्त अनुमति अनुज्ञा की शर्त संख्या 05 के अनुसार आवेदक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लेखित मात्रा के अनुसार उपखनिज की निकासी की जानी थी। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार आवेदित भूमि के खसरा संख्या 160/1स, 160/1मि0, 160/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.115है0 मध्ये रकवा 2.337है0 भूमि में 06 मी0 गहराई तक समतलीकरण व उक्त भूभाग के खुदान से निकलने वाले कुल 2,24,352 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी प्रस्तावित की गयी थी, जिसकी रायल्टी रू0 154/-घन मीटर की दर से रू0 3,45,50,208/- देय थी(संलग्नक-5)।
- (III) संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन मात्रा से अधिक खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश मौके पर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा की गयी। जोकि पूर्व में प्रेषित अवैध खनन की आख्यानुसार पायी गयी।
- (IV) राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा पूर्व में संयुक्त रूप से दिनांक 27.12.2021 तथा दिनांक 26.04.2022 को उक्त आवेदित स्थल पर संयुक्त जाँच कर अनुज्ञाधारक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। जोकि निम्नानुसार है।

दिनांक 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण	दिनांक 26.04.2022 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण
<p>अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई 6 मीटर से अग्रेतर 2 मीटर अधिक खनन किया हुआ पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 100 मीटर x 28 मीटर x 2 मीटर एवं 37 मीटर x 34 मीटर x 2 मीटर में 12985 घनमीटर अवैध खनन किया गया। इसके साथ ही अन्य लगी भूमि पर 40 मीटर x 40 मीटर x 3.5 मीटर में 8960 घनमीटर अवैध खनन किया गया (सौईल फैक्टर 1.6 के आधार पर)।</p> <p>इस प्रकार कुल 21,945 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया जिस हेतु राँयल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रतिटन के आधार पर कुल रू0 67,59,245/- अर्थदण्ड वसूलने की संस्तुति की गयी है (संलग्नक-6, पैरा-5)।</p> <p>उक्त संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या-68/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 08.02.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया(संलग्नक-7)।</p> <p>उक्त धनराशि को अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 20 व 23 मार्च 2022 को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दी</p>	<p>अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई एवं पूर्व में किये गये अवैध खनन दिनांक 27.12.2021 से अग्रेतर 15 मीटर गहराई तक अवैध खनन किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 100मीटर x 28 मीटर x 15 मीटर एवं 37मीटर x 34 मीटर x 15 मीटर पर अतिरिक्त रूप से 97,392 घनमीटर अवैध खनन किया गया।</p> <p>इसके अतिरिक्त अन्य लगी भूमि पर भी 40 मीटर x 40 मीटरx 15 मीटर कुल 38,400 घनमीटर पर अवैध खनन किया गया(सौईल फैक्टर 1.6 के आधार पर)।</p> <p>इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा कुल 1,35,792 घन मीटर अवैध खनन किया गया। जिस हेतु रायल्टी का पांच गुना रू0 770/- प्रति घन मीटर के आधार पर कुल रू0 10,45,59,840/- अर्थदण्ड वसूलने व ई रवन्ना पोर्टल आई.डी. बन्द करने की संस्तुति की गयी(संलग्नक-9, पैरा-2)।</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

गयी थी(संलग्नक-8)।	उक्त संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या-12/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 05.05.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया(संलग्नक-10)।
--------------------	---

(v) निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलो में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है। इस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या 25/30जी0सी0/2022-23 दिनांक 03 नवम्बर 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गड्डों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है (संलग्नक-11, क्रमांक-2)।

(ख) श्री सुभाष चन्द्र, पुत्र श्री टीकाराम, निवासी, ग्राम-दुर्गापालपुर मोतीराम, त0-लालकुंआ, नैनीताल।

(I) श्री सुभाष चन्द्र, पुत्र श्री टीकाराम, निवासी, ग्राम-दुर्गापालपुर मोतीराम, त0-लालकुंआ, नैनीताल को उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-2140/VII-A-1/2021-5 (73)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा ग्राम-सेमलचौड़, त0-कालादूंगी के खसरा संख्या-229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है0 मध्ये 2.470 है0 भूमि में खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर.बी.एम. की रायल्टी 4,26,02,560/- के आधार पर 6 माह में निकासी की शर्त के साथ अनुज्ञा निर्गत की गयी है(संलग्नक-12)।


(II) संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन मात्रा से अधिक खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश मौके पर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा की गयी। जोकि पूर्व में प्रेषित अवैध खनन की आख्यानुसार पायी गयी।

(III) राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा पूर्व में भी संयुक्त रूप से दिनांक 26.03.2022 तथा दिनांक 26.04.2022 को उक्त आवेदित स्थल पर संयुक्त जाँच कर अनुज्ञाधारक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। जोकि निम्नानुसार है।

दिनांक 26.03.2022 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण

दिनांक 26.04.2022 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण











अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई 07 मीटर से अग्रेतर 05 मीटर अधिक गहराई तक खनन किया हुआ पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 100मीटरX90मीटरX 5 मीटर पर तथा 160मीटर X80मीटर X 4मीटर पर खनन करते हुए अतिरिक्त रूप से कुल 1,53,920 घन मीटर अवैध खनन किया गया। (सौईल फैक्टर 1.6 के आधार पर)

इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जिसकी रॉयल्टी का पांच गुना-रू0 770 प्रति घन मीटर के आधार पर कुल रू0 11,85,18,400 /- वसूलने की संस्तुति की गयी(संलग्नक-13)। उक्त संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या-05/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 11.04.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया(संलग्नक-14)।

अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई एवं पूर्व में किये गये अवैध खनन दिनांक 26.03.2022 से अग्रेतर 05 मीटर गहराई तक अवैध खनन किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 100मीटर X 90 मीटर X 5 मीटर एवं 160मीटर X 80 मीटर X 5 मीटर पर खनन करते हुए अतिरिक्त रूप से 1,74,400 घन मीटर अवैध खनन किया गया (सौईल फैक्टर 1.6 के आधार पर)।


इस प्रकार कुल 1,74,400 अवैध खनन पर उपखनिज की कीमत रॉयल्टी का पांच गुना-770 प्रति घन मीटर के आधार पर कुल रू0 13,42,88,400/- वसूलने व ई रवन्ना पोर्टल आई.डी. बन्द करने की संस्तुति की गयी(संलग्नक-15, पैरा-1)

उक्त संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या-11/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 05.05.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया(संलग्नक-16)।

(IV) निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलो में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या 25/30जी0सी0/2022-23 दिनांक 03 नवम्बर 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गडदों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है (संलग्नक-17, कमांक-3)।

(ग) श्री कृपाल सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर

(I) श्री कृपाल सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के पक्ष में जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश संख्या-1643/30 जी.सी./2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा ग्राम सेमलचौड़, त0-कालाढूंगी जिला-नैनीताल के खाता संख्या-78 के खसरा संख्या-231/5 रकवा 1.676 है0, खाता संख्या-85 के खसरा संख्या-231/4/2 रकवा 1.474 है0 व खाता सं0-29 के खसरा





३३

संख्या-231/3/1 रकवा 2.745 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रकवा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर ल0 X 65.76 चौ0 X 12 मी0 गहराई में स्वेला फैक्टर 1.6 मानते हुए 144693 घन मीटर आर0बी0एम0, जिसकी रॉयल्टी रू0 154/-घन मीटर की दर से रू0 2,22,82,729/- के आधार पर 03 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा निर्गत की गयी है(संलग्नक-18)।

(II) संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन मात्रा से अधिक खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश मौके पर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा की गयी। जोकि पूर्व में प्रेषित अवैध खनन की आख्यानुसार पायी गयी।

(III) राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा पूर्व में संयुक्त रूप से दिनांक 25.11.2021 तथा दिनांक 27.12.2021 को उक्त आवेदित स्थल पर संयुक्त जाँच कर अनुज्ञाधारक के विरुध कार्यवाही की गयी है। जो कि निम्नानुसार है।

दिनांक 25.11.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण	दिनांक 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण
<p>अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई 12 मीटर से अग्रेतर 02 मीटर अधिक खनन किया हुआ पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 70 मीटरX45मीटर X 2 मीटर पर अतिरिक्त रूप से खनन कर, सौईल फैक्टर 1.6 मानते हुए 10,080 घनमीटर अवैध खनन किया गया।</p> <p>इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा कुल 10,080 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया, जिसकी कीमत रॉयल्टी का दो गुना 308 प्रति घनमीटर के आधार पर कुल रू0 31,04,640 /- वसूलने की संस्तुति की गयी(संलग्नक-19, पैरा-2)।</p>	<p>अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.6मीटर X 65.76 मीटर X 12 मीटर के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर X 117.50 मीटर X 15 मीटर में खनन किया हुआ पाया गया, इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत एवं पूर्व में दिनांक 25.11.2021 को किये गये खनन के अतिरिक्त 2,00,547 घनमीटर अवैध खनन, किया गया।</p> <p>उक्त अवैध खनन उपखनिज की मात्रा 2,00,547 घनमीटर हेतु रॉयल्टी का पांच गुना-350 प्रतिटन के आधार पर कुल रू0 15,44,21,400/- वसूलने व उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गयी(संलग्नक-20, पैरा-2)।</p> <p>उक्त संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या-63/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया(संलग्नक-21)।</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

	जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1850/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा उक्त अनुज्ञा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। (संलग्नक-22)
--	---

(IV) निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलो में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या 25/30जी0सी0/2022-23 दिनांक 03 नवम्बर 2022 द्वारा भासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गडढों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है (संलग्नक-23, क्रमांक-8)।

(घ) श्री करम सिंह, पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड, बैलपडाव तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल।

- (I) श्री करम सिंह, पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड, बैलपडाव तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल के पक्ष में जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश संख्या-1644/30 जी.सी./2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा ग्राम सेमलचौड, त0-कालाढूंगी जिला-नैनीताल के खाता संख्या-14 के खसरा संख्या-121 मि0, खसरा सं0-88 मि0 तथा खसरा संख्या-89 मि0 व खाता सं0-32 के खसरा सं0-88 मि0 व खसरा सं0-89 मि0 के मध्ये रकवा 0.241 है0, भूमि में 175 मीटर ल0 X 13.76 चौ0 X 9.4 मी0 गहराई में स्वेल् फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदाई की अनुमति व उक्त भूभाग में बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी 03 माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसकी रॉयल्टी रू0 154/-घन मीटर की दर से रू0 54,22,956/- देय थी(संलग्नक-24)।
- (II) संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन मात्रा से अधिक खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा की गयी। जोकि पूर्व में प्रेषित अवैध खनन की आख्यानुसार पायी गयी।
- (III) राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा पूर्व में संयुक्त रूप से दिनांक 25.11.2021 तथा दिनांक 27.12.2021 को उक्त आवेदित स्थल पर संयुक्त जाँच कर अनुज्ञाधारक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। जोकि निम्नानुसार है।

दिनांक 25.11.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण	दिनांक 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण
अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई से अग्रेतर 1.86 मीटर अधिक खनन किया हुआ पाया	अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 175 मीटर लम्बाई, X 13.76 मीटर

गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 80मीटर X 12मीटर X 1.86 मीटर अतिरिक्त रूप से अवैध खनन किया गया है जिसमें सौईल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन किया गया।

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा कुल 2856.96 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया, जिसकी कीमत रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308 प्रति घन मीटर की दर से कुल रू0 8,79,944 /- वसूलने की संस्तुति की गयी(संलग्नक-25, पैरा-1)।

उक्त संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या-61/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 05.01.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया(संलग्नक-26)।

चौड़ाई एवं 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर X 16 मीटर X 11.6 मीटर गहराई में खनन किया हुआ पाया गया इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत मात्रा एवं पूर्व में दिनांक 25.11.2021 को किये गये अवैध खनन के अतिरिक्त स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए **14,166.04 घनमीटर** अवैध खनन, किया गया।

इसके अतिरिक्त अन्य लगी भूमि पर 95 मीटर X 16 मीटर X 3.5 मीटर पर भी खनन किया गया। स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए **8512 घनमीटर** उपखनिज आगणित किया गया।

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा कुल **22678.04** अवैध खनन किया गया, जिसकी रॉयल्टी दो गुना रू0 140 प्रतिटन दर से कुल **रू0 69,84,836/-** वसूलने व उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गयी(संलग्नक-27, पैरा-1)

उक्त संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या-62/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया(संलग्नक-28)।

जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1850/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा उक्त अनुज्ञा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। (संलग्नक 29)


(IV) निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलो में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या 25/30जी0सी0/2022-23 दिनांक 03 नवम्बर 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात्




खोदे गये गडढों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है (सलग्नक-30, क्रमांक-9)।

(ड) श्री सुखराज सिंह, पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम-बन्नाखेड़ा त0-बाजपुर, उधमसिंहनगर।

- (I) श्री सुखराज सिंह, पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम-बन्नाखेड़ा त0-बाजपुर, उधम सिंहनगर को उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-28/VII-A-1/2021-5(13)/22 दिनांक 05 जनवरी, 2022 के द्वारा ग्राम-सैमलचौड़, त0-कालाढूंगी के खसरा संख्या-168, 169, व 170 कुल रकवा 1.718 है0 मध्ये रकवा 0.800 है0 निजी नाप भूमि में कुल 1,28,000 घनमीटर उपखनिज की निकासी की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसकी रायल्टी रू0 154/-घन मीटर की दर से रू0 1,97,12,000/- देय थी। उक्त अनुज्ञा 06 माह हेतु निर्गत की गयी थी(संलग्नक-31)।
 - (II) दिनांक 26.03.2022 को खनन व राजस्व विभाग द्वारा अपने निरीक्षण में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जा रहा है तथा खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा दिनांक 09.11.2022 को की गयी पैमाईश में भी पाया गया कि आवेदक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र में ही खनन किया गया है(संलग्नक-32)।
 - (III) निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलो में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या 25/30जी0सी0/2022-23 दिनांक 03 नवम्बर 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गडढों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है (सलग्नक-33, क्रमांक-1)।
2. संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है तथा खनन के कोई वाहन संचालन में नहीं पाये गये।
 3. उक्त सभी खनन अनुज्ञाएं निजी नाप भूमि में की गयी हैं तथा वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई खनन कार्य नहीं पाया गया।
 4. इसी क्रम में खनन क्षेत्र सैमलचौड़ में दिनांक 09.11.2022 से 10.11.2022 तक परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया गया। परिवेशीय वायुगुणता मानको के अनुरूप पायी गयी है। (आख्या संलग्न, संलग्नक-34)।
 5. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकण में योजित मूल आवेदन में चिन्हित ग्राम-पत्तापानी तथा सैमलचौड़, जिला नैनीताल, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी की अधिकारिता में है। क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी के श्री हरीश

जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में उक्त खनन अनुज्ञा को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई सहमति निर्गत नहीं की गयी है।

6. उक्त अनुज्ञाधारकों के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञाओं की अवधि मई 2022 में समाप्त हो चुकी है। जांच के दौरान अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अवगत कराया गया कि, खान विभाग द्वारा की गयी पैमाईश उनके द्वारा किये गये पूर्व निरीक्षणों के भांति ही पाई गयी है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कोई भी खनन अनुज्ञा संचालित नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि अनुज्ञा धारको द्वारा पूर्व में स्वीकृति अनुज्ञा से अधिक खनन किया गया है तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी है तथा उक्त प्रकरणों में अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है।


(सुनील कुमार)
सहा.पर्या. अभियंता
उ०प्र०नि०बोर्ड
काशीपुर।



(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा.वैज्ञा. अधिकारी
उ०प्र०नि०बोर्ड
हल्द्वानी।


(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र०नि०बोर्ड
काशीपुर।



(अक्षय कुमार भट्ट)
तहसीलदार, बाजपुर
ऊधमसिंहनगर।



(राकेश चन्द्र तिवारी)
उपजिलाधिकारी,
बाजपुर, ऊधमसिंहनगर।


(रेखा कोहली)
उपजिलाधिकारी
कालाढूंगी, नैनीताल।


(अशित कुमार झा)
सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी
काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।

(निखिल शर्मा)
सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी
रामनगर, नैनीताल।



(प्रकाश चन्द्र आर्या)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर, नैनीताल



(राजपाल लेघा)
अपर निदेशक
भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, देहरादून।

- जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में उक्त खनन अनुज्ञा को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई सहमति निर्गत नहीं की गयी है।
6. उक्त अनुज्ञाधारकों के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञाओं की अवधि मई 2022 में समाप्त हो चुकी है। जांच के दौरान अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अवगत कराया गया कि, खान विभाग द्वारा की गयी पैमाईश उनके द्वारा किये गये पूर्व निरीक्षणों के भाति ही पाई गयी है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कोई भी खनन अनुज्ञा संचालित नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि अनुज्ञा धारको द्वारा पूर्व में स्वीकृति अनुज्ञा से अधिक खनन किया गया है तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी है तथा उक्त प्रकरणों में अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है।


(सुनील कुमार)
सहा.पर्या. अभियंता
उ०प्र०नि०बोर्ड
काशीपुर।


(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा.वैज्ञा. अधिकारी
उ०प्र०नि०बोर्ड
हल्द्वानी।


(नरेश गौरवामी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र०नि०बोर्ड
काशीपुर।



(अक्षय कुमार भट्ट)
तहसीलदार, बाजपुर
ऊधमसिंहनगर।



(राकेश चन्द्र तिवारी)
उपजिलाधिकारी,
बाजपुर, ऊधमसिंहनगर।


(रेखा कौहली)
उपजिलाधिकारी
कालादूगी, नैनीताल।


(अंशु कुमार झा)
सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी
काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।


(निखिल शर्मा)
सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी
रामनगर, नैनीताल।


(प्रकाश चन्द्र आर्या)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर, नैनीताल


(राजपाल लघा)
अपर निदेशक
भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, देहरादून।

मुख्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क

सहस्रधारा रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

E-mail:- msukpcb@yahoo.com

पत्रांक:यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-622/2022/1112

पंजीकृत डाक/ई-मेल द्वारा

दिनांक: 3.10.2022

सेवा में,

एन0जी0टी0 मैटर/समयबद्ध

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, रायपुर-थानो रोड़, पो0ओ0 धनयारी जिला देहरादून। ई-मेल :- adir-dgm-uk@nic.in
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी जिला नैनीताल। ई-मेल :- dfohd@gmail.com
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई मध्य वन प्रभाग, हल्द्वानी जिला नैनीताल। ई-मेल:- dfotaraicentral@rediffmail.com
4. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी जिला नैनीताल। ई-मेल:- dfote@rediffmail.com
5. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिम वन प्रभाग, हल्द्वानी जिला नैनीताल। ई-मेल:- dfotaraiwest@gmail.com
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर जिला नैनीताल। ई-मेल:- dfo_ramnagar@rediffmail.com
7. संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी जिला हल्द्वानी। ई-मेल:- rtohal-trans-uk@nic.in
8. संभागीय परिवहन अधिकारी ऊधमसिंहनगर जिला ऊधमसिंह नगर। ई-मेल:- artoeusn-trans-uk@nic.in
9. जिलाधिकारी, नैनीताल। ई-मेल :- dm-nai-ua@nic.in
10. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर। ई-मेल :- dm-usn-ua@nic.in

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-538/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-538/ 2022 स्वर्ण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 का अवलोकन करना चाहें। प्रकरण जनपद ऊधमसिंहनगर के समीपवर्ती जनपद नैनीताल के बेलपडांव क्षेत्र के ग्राम सेमलचौड़, पत्तापानी से बाजपुर क्षेत्र (जनपद ऊधमसिंह नगर) में स्थित स्टोन क्रेशरों द्वारा कृषि भूमि से अवैध खनन कर डंपरों द्वारा परिवहन किये जाने से सम्बन्धित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार उपचारात्मक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार विभागों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है:-

1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, रायपुर-थानो रोड़, पो0ओ0 धनयारी जिला देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर।
4. संभागीय परिवहन अधिकारी, जनपद नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एंजेसी नामित किया गया है। प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही सहित एक माह के अन्तर्गत Factual Report मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है। प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 06.12.2022 को नियत है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

क्रमशः पेज-2


विषयगत प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा काम्पलेक्स, रामनगर रोड़, काशीपुर (मो०नं०-9412130888 ई-मेल-rokueppcb2018@gmail.com) को नामित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयगत प्रकरण में संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करने का कष्ट करें ताकि स-समय निरीक्षण कर Factual & Action Taken Report मा० एन०जी०टी० में दाखिल की जा सके।
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(एस०पी० सुबुद्धि) आई०एफ०एस०
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति सहित अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डा० अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. डा० डी०के० जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ की क्षेत्रीय अधिकारी, काशीपुर से समन्वय कर निरीक्षण के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें। प्रकरण में आच्छादित अवैध खनन का क्षेत्र जनपद नैनीताल से सम्बन्धित है अतः क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी की उपस्थित आवश्यक है।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को सम्बन्धित विभागों से आवश्यक समन्वय कर मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को स-समय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि निरीक्षण में आच्छादित पट्टाधारक/स्टोन क्रेशर द्वारा सहमति शर्तों/पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त की दशा में सम्बन्धित को निरीक्षण आख्या की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि निरीक्षण आख्या के क्रम में अपना प्रत्युत्तर एक माह के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० में दाखिल करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी

10 राष्ट्रीय हरित आंदोलन में योगित मूल आवेदन सं 538/22
 में पारित आदेशों के अम में गठित संयुक्त जांच समिति
 के जांच निरीक्षण की उपस्थिति।

संलग्नक (2)

दिनांक 9/11/22

क्र.सं.	नाम	पद / विभाग / ग्राम	हस्ताक्षर
1.	प्रकाश चंद्र	प्रशासक वनाधिकारी तराई परिसर वन प्रभाग रामनगर	[Signature]
2.	राजपाल लेखा	अपर डिप्टी क्वार्टर एवं कर्मिक	[Signature]
3.	रेखा जोशी	S.D.M. कालागुवा	[Signature]
4.	राकेश कुमार तिवारी	उप निरीक्षक राजपुर	[Signature]
5.	नरेश गोस्वामी	खेती अधिकारी प्रो. वी. काशीपुर	[Signature]
6.	Ashik Kumar Jha	A.R.T.O. Kashipur	[Signature]
7.	Nikhil Chamma	TTO Naurital	[Signature]
8.	AKSHAY KUMAR BHATTI	TENSILDAR BAZPR	[Signature]
9.	Mamta Chand	S.D.O. Haldwani Forest Div.	[Signature]
10.	Sunil K. Arya	AEE PCB, Kashipur	[Signature]
11.	Harish Chandra Joshi	ASO UKPES - Haldwani	[Signature]
12.	Unmesh Chandra Arya	Range Officer, Tarai Central	[Signature]
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

पत्रांक- यू.के.पी.सी.बी./आर.ओ.के. रिट-80/22/542
सेवा में,

दिनांक- 29/10/22

1. जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर।
2. जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल।
3. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नैनीताल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर, जिला-नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला-नैनीताल।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर, जिला-उधमसिंहनगर।
9. श्री राजपाल लेघा, (नामित सदस्य) अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. श्रीमती ममता चन्द्र, (नामित सदस्य) उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्धौर उपप्रभाग, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-538/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-538/2022 स्वर्ण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-622/2022/1112 दिनांक 03.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त पत्र में बोर्ड मुख्यालय, देहरादून द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सदस्य नामित किया गया है तथा अन्य विभागों से समीति की जांच हेतु सदस्य नामित किये जाने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून तथा प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा ही सदस्य नामित करने की सूचना प्राप्त हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संयुक्त जांच हेतु दिनांक 09.11.2022 तथा 10.11.2022 को स्वयं अथवा अपने नामित प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिभाग करना चाहें, ताकि प्रकरण पर Factual & Action Taken Report स-समय मा0 एन.जी.टी. में दाखिल की जा सके। उक्त सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की पृक्षा हेतु अद्योहस्ताक्षरी के दूरभाष नं0-9412130888 अथवा सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्री सुनील कुमार के दूरभाष नं0-7895438345 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश गोस्वामी)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को सूचनार्थ।
4. डॉ0 डी.के.जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को इस आशय के साथ प्रेषित कि, अपने स्तर से भी जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल से समन्वय स्थापित करने तथा वन प्रभाग तथा परिवहन विभाग को सूचित करने का कष्ट करना चाहें।
5. श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह, ग्राम-इटट्वा, गुरुद्वारा, पो0-जोगीपुरा, त0-बाजपुर, उधमसिंहनगर को उक्त दिवस में उपस्थित रहने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)



संख्या: 1909 / VII-A-1 / 2021 / 5(31) / 21

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
संख्या 344 दिनांक 16/11/2021

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

00190

सेवा में,
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

अचर जिलाधिकारी
नैनीताल

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

विषय: श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील कालाढूँगी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.337 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1572/30/जी०सी०/2021-22, दिनांक 10 सितम्बर, 2021 एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-2854/खनन/भू०खनि०ई०/समतलीकरण/2021-22, दिनांक 03 नवम्बर, द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम 3 में किये गये अतिरिक्त प्रावधानानुसार जनपद नैनीताल, तहसील कालाढूँगी के ग्राम पत्तापानी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.337 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम०-10 अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत क्षेत्र में स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
5. आवेदक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित मात्रा के अनुसार उपखनिज की निकासी की जायेगी।
6. आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चाहरदीवारी या तार-बाढ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
7. अनुज्ञाधारक के द्वारा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

00190
W

8. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या: (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दिनेश यादव)
अनु सचिव

संयुक्त निरीक्षण आख्या

श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी जनपद नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल अन्तर्गत स्वयं की नाप भूमि में समतलीकरण की खनन अनुज्ञा चाहने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।


कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं० 1513/30-जी० सी०/2021-22 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल के पत्र संख्या 538/भू०खनि०ई०/खनन अनुज्ञा/2021-22 दिनांक 09.08.2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी जनपद नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल में अपनी निजी नाप भूमि के खसरा सं० 160/1स, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.155 है० भूमि में से आर०बी०एम० (बालू, बजरी, बोल्टर) की निकासी उत्तराखण्ड बालू, बजरी बोल्टर चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं० 23(4) के प्राविधानों के दृष्टिगत निकासी दिये जाने के सम्बन्ध में आवेदित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग एवं खनन विभाग के द्वारा आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिनांक 12.08.2021 को सम्पन्न किया गया जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-


राजस्व विभाग की आख्या:- श्री हिम्मत सिंह, श्री दलजीत सिंह, जोगा सिंह पुत्रगण श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि खाता संख्या 94,33,30 के खसरा सं० 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.155 है० भूमि में आवेदन किया गया। जिसमें स्थलीय निरीक्षण के दौरान गूल से दूरी छोड़ने के उपरान्त एवं क्षेत्र समतलीकरण हेतु चिन्हित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र खसरा, खसरा खतौनी उपलब्ध करायी गई है। राजस्व अभिलेखानुसार प्रस्तावित भूमि आवेदक श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल के नाम से श्रेणी 1 (क) संक्रमणीय भूमिधरी में संयुक्त रूप से सहखातेदारी में दर्ज अभिलेख है। संलग्न खतौनी में खातेदारों के नाम बंधक का इन्द्राज दर्ज कागजात है। जिसमें श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के नाम 1.543 है० तथा श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के नाम 1.862 है० व श्री जोगा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के नाम 0.687 है० भूमि श्रेणी 01A में दर्ज अभिलेख है जिसमें श्री दलजीत सिंह एवं श्री जोगा सिंह के द्वारा अपने हिस्से की भूमि आवेदनकर्ता श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह को नोटराईज शपथ पत्र संख्या INUK36143938889315T दिनांक 09 अगस्त 2021 के द्वारा समतलीकरण कार्य हेतु सहमती पत्र दिया गया है। आवेदित भूमि के खाता सं० 94,33,30 खसरा संख्या 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.092 है० मध्ये रकवा मध्ये 3.687 है० प्रस्तावित है, जिसमें उक्त खसरों 160/1 तथा 173/2 मध्ये रकवा 1.35 है० (150x90) में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के आदेश संख्या 3144/30जी०सी०/2017-18 दिनांक 24 अक्टूबर 2017 के द्वारा समतलीकरण की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त प्रस्तावित 3.687 है० मध्ये से 1.35 है० (150x90) क्षेत्र पृथक करने के उपरान्त 2.337 है० क्षेत्र प्रस्तावित है। आवेदित क्षेत्र जो संहत खण्ड में है, खनन अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जिसमें कोई विवाद नहीं है। उक्त आवेदित भूमि एक संहत खण्ड में है जो नदी तल से बाहर स्थित है। आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, नदी, पुल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, बांध/नहर से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, मन्दिर, श्मशान आदि से दूरी- सड़क से 100 मीटर से अधिक, मन्दिर से 100 मीटर से अधिक, श्मशान आदि से 100 मीटर से अधिक, स्कूल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।


वन विभाग की आख्या:-

श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि खाता संख्या 30 के के खसरा सं० 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.092 है० भूमि मध्ये रकवा 2.337 है० भूमि में कोई इमारती वृक्ष एवं अन्य कोई वन प्रजाति के वृक्ष मौजूद नहीं हैं। उक्त प्रस्तावित स्थल से वन क्षेत्र की दूरी 100 मीटर से अधिक है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता है। आवेदित स्थल राष्ट्रीय पार्क/संचुरी से 10 किमी० से अधिक की दूरी पर स्थित है।


05.11







सिचाई विभाग की आख्या:-

आवेदक श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूगी, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूगी जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि खाता संख्या 30 के के खसरा सं० 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.092 है० भूमि मध्ये रकवा 2.337 है० भूमि क्षेत्र में उपखनिज की निकासी हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के अन्तर्गत कोई भी विभागीय निर्माण योजना एवं नहर/निर्मित गूल नहीं है। इसके समूह में स्थित गूल को क्षति पहुँचाने पर उसकी क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा की जायेगी। **गुप्त एवं पारिवर्तन की ओर सिचाई विभाग की गूल है। गूल से २ मीटर भूमि की ऊँचाई व गूल को कृषि विभाग की आख्या:- क्षतिपूर्ति पहुँचने पर उसकी क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा की जाये**

आवेदित स्थल पर प्रार्थी के निजी नाप भूमि के उपरी 01 मीटर की मृदा की सतह उबड़ खाबड़ है जिसमें नदीय अवसाद मौजूद है जो कि उपरी मृदा के साथ मिश्रित हैं जिसे हटाये जाने से तथा अन्यत्र स्थल से साफ मृदा के भरने से स्थल को कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की आख्या:-

आवेदक श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूगी, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूगी जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि खाता संख्या 30 के के खसरा सं० 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.092 है० मध्ये 2.337 है० क्षेत्रफल में विकास हित में व्यवसायिक उपयोग हेतु स्वयं की निजी नाप भूमि में से उपखनिज की निकासी हेतु आवेदन किया गया। आवेदक द्वारा खनन अनुज्ञा शुल्क रू० 5000/- चालान सं० 20 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। आवेदित क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहन पहुँच मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल के समीप कोई भी खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत/कार्यरत नहीं है, स्थल के समीप वर्तमान में कोई भी धर्मकांटा स्थापित नहीं है।

सौका निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल निजी नाप भूमि के रूप में देखा गया है, जो कि बंजर एवं ऊबड़-खाबड़ है। प्रस्तावित स्थल के चारों ओर प्रार्थी एवं अन्य कृषकों की निजी नाप भूमि अवस्थित है।

आवेदित भूमि के खसरा सं० 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.155 है० मध्ये 2.337 है० भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खसरों की पुष्टि एवं सत्यापित करने के उपरान्त चिन्हांकित मानचित्र अनुसार क्षेत्र खनन अनुज्ञा हेतु उपयुक्त है, आवेदक द्वारा दिये गये अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2021 अनुसार गहराई 06 मीटर चाही गयी है। आवेदित स्थल से 06 मीटर गहराई तक उपखनिज हटाने पर स्वेल् फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 2,24,352 घनमीटर (या अनुमोदित खनन योजनानुसार) उपखनिज(आर०बी०एम०) निकलने की सम्भावना है, जिसकी रायल्टी रू० 154/- प्रति घनमीटर की दर से रू० 03,45,50,208 (तीन करोड़, पैतालिस लाख पचास हजार दो सौ आठ मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त निर्धारित कुल रायल्टी का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आदि रू० 51,82,532/- (इक्यावन लाख बयासी हजार पाँच सौ बत्तीस मात्र) तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू० 6,91,804 (रू० छह लाख इक्यानबे हजार आठ सौ चार मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशतरू० 86,37,552/- (छियासी लाख सैतीस हजार पाँच सौ बावन मात्र) को जिला खनिज फाउंडेशन न्यास-नैनीताल के निर्धारित भारतीय स्टेट बैंक हल्द्वानी के निर्धारित खाता में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 54 के अनुसार स्वामित्व की राशि को आवेदक द्वारा एक मुस्त जमा करना होगा और निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक उपखनिजों को नहीं हटा लेता है, तो निकाला गया समस्त उपखनिज को जब्त कर लिया जायेगा एवं जमा धनराशि वापस नहीं किये जाने का प्राविधान है। उक्त अनुज्ञा की समयवधि अधिकतम छः माह होगी।


सादर अवगत कराना है, कि शासनादेश सं० 1845/VII-A-1/5(34)/20 दिनांक 27.11.2020 के बिन्दु सं०-2 के अनुसार उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) बिन्दु सं० 23 के उपबिन्दु (4) के प्राविधानानुसार निम्नानुसार आशय पत्र (LETTER OF INTENT) स्वीकृत किया जायेगा।

(1) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर के समतलीकरण एवं मत्स्य पालन हेतु तालाब, जिसमें बालू, बजरी, बोल्टर खनिज निकलने की सम्भावना हो, हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा हेतु आशय पत्र कार्यालय ज्ञाप सं०


स. 5-14







200/2020/31 ख/17 टी0सी0 दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज, (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 के बिन्दु सं0 21 के उपबिन्दु (2) में किये गये प्राविधानानुसार जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(2) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि से भिन्न निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के समतलीकरण एवं मत्स्य पालन हेतु तालाब, जिसमें बालू, बजरी, बोल्डर एवं खनिज निकलने की सम्भावना हो, हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा हेतु आशय पत्र (LETTER OF INTENT) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड की संस्तुति पर शासन स्तर से स्वीकृत किया जायेगा, प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार आवेदित स्थल नदी तल से लगी निजी नाप भूमि से भिन्न निजी नाप भूमि है। अतः शासनादेश सं0 1845/VII-A-1/5(34)/20 दिनांक 27.11.2020 के बिन्दु सं0-2 के अनुसार एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अध्याय 06 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु आख्या विचारणार्थ/निर्णयार्थ सेवा में सादर प्रेषित।


अनुज्ञा प्राप्ति की दशा में अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा:-

- 1- आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम0एम0 -12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।
- 2- स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
- 4- यदि समतलीकरण के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
- 5- समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।
- 6- यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।
- 7- यदि समतलीकरण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी अन्यथा की स्थिति में इस संस्तुति को स्वतः ही निरस्त समझा जाये।
- 8- आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से समतलीकरण क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार-बाड़ लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।


राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र कैलाशपुर


सर्वेक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
नैनीताल


सहायक अभियन्ता
सिंचाई विभाग, हल्द्वानी



मुख्य कृषि अधिकारी
नैनीताल।


प्रमाणिक
सिंचाई विभाग, नैनीताल
सिंचाई विभाग, नैनीताल
सिंचाई विभाग, नैनीताल
सिंचाई विभाग, नैनीताल
सिंचाई विभाग, नैनीताल

प्रतिनिधि
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर


उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
नैनीताल/अल्मोड़ा


उपजिलाधिकारी,
कालाढूंगी

सिंचाई विभाग की शासनादेश
अवैध आवेदक द्वारा इन शर्तों
का पालन किया जाना अनिवार्य है


माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश में याचिका में उल्लिखित तथ्यो एवं याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में याचिका से संबंधित उत्तरदाता संख्या 7-एल0एस0सी0स्टोन क्रेशर,ग्राम गोबरा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 8-एल0 एस0 सी0 स्टोन क्रेशर,ग्राम बन्नाखेड़ा ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 9-दाबका स्टोन क्रेशर,ग्राम गजरौला ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 10-ओमकार स्टोन क्रेशर,ग्राम इटवा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम बैलपड़ाव तहसील कालादूंगी, जनपद में किये जा रहे अवैध खनन के संबध में याचिकाकर्ता व उत्तरदाता संख्या 7 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की जाच कराते हुए 30 दिन के अन्दर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने निर्देश दिये गये है, उक्त माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1210/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 20 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रकरण में जाच उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करते हुए तथा याचिकाकर्ता व उत्तरदाता संख्या 07 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपनी स्पष्ट जांच आख्या मय फोटोग्राफ चार दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के संबध में आज दिनांक 27.12.2021 को उपजिलाधिकारी कालादूंगी एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालादूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञायो एवं समतलीकरण अनुज्ञायो का संयुक्त निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियो की उपस्थिति में किया गया। इस संबन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त याचिका मे उत्तरदाता संख्या 07 से 10 से संबधित समस्त स्टोन क्रेशर तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर में स्वीकृत एवं स्थापित है तथा ग्राम सैमलचौड/बैलपड़ाव में उक्त स्टोन क्रेशरों के नाम कोई भी खनन अनुज्ञाये वर्तमान मे स्वीकृत नही है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी कालादूंगी के पत्र संख्या 357/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मे उत्तरदाता संख्या 7 से 10 एवं याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12.2021 को कार्यालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसका विवरण पृथक से संलग्न है। स्थलीय निरीक्षण आख्याये निम्नवत है:-

01:- श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड तहसील कालादूंगी के पक्ष मे स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व



उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237-35,214.00-2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक 1)।

02:- श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है0, खाता संख्या 85 के , खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई X 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग

पर बेसमेंट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320-1,44,693-10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात् रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेंट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 2)।

03- श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा:- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021 -22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एवं खसरा संख्या 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रक्वा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2161/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष में ग्राम सेमलचौड तहसील कालादूंगी में 2.430 है० भूमि में समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

04:- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा:- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू०ख०ई०/खनन अनुज्ञा/2021-22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रक्बा 1.253 है०, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रक्बा 1.521 है०, खसरा संख्या 230/3 रक्बा 0.996 है०, खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रक्बा 0.032 है०, खाता संख्या 70 के रक्बा 229/5/1 रक्बा 1.215 है० भूमि कुल 5.017 है० भूमि मध्ये रक्बा 2.470 है० भूमि में (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर०बी०एम० की स्वीकृति के संबध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2140/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम के पक्ष में ग्राम सेमलचौड में 2.470 है० भूमि में समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूंगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है० मध्ये 2.337 है० भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर०बी०एम० की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।


उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है० क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते

हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंचातीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 5)।


अतः तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र- बैलपड़ाव



भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी



(अपर निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी



(उपजिलाधिकारी)
कालादूगी

कार्यालय उपजिलाधिकारी कालाढूंगी जिला नैनीताल
पत्र संख्या:- 36/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने आदेश संख्या:-1810/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एवम् अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 पारित आदेश के सम्बन्ध में महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा 1. हरकेश कुमार पुत्र हंसराज निवासी ग्राम गजरीला, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (याचिका कर्ता) 2. संचालक, एल0एस0सी0 स्टोन केशर, ग्राम गोबरा तहसील बाजपुर (उत्तरदाता संख्या 7) 3. संचालक, एल0एस0सी0 स्टोन केशर, ग्राम बन्नाखेड़ा, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-8) 4. संचालक, दाबका स्टोन केशर ग्राम गजरीला, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-9) 5. संचालक, ओंकार स्टोन केशर, ग्राम इटावा, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-10) को दिनांक 27.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किये गये।

उक्त नोटिस के क्रम में केवल उत्तरदाता संख्या 7 व 8 एल0एस0सी0 इन्फाटेक लि0 ग्राम गोबरा एवं ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.12.2021 के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त न ही याचिका कर्ता हरकेश कुमार एवं अन्य उत्तरदाता दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित नहीं हुए एवं न ही उनके द्वारा कोई लिखित कथन प्रस्तुत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र वैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी के साथ ग्राम रोगलचौड़ में 01. श्री करण सिंह पुत्र सुष्वा सिंह निवासी ग्राम समतलीचौड़ तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत वेसमैन्ट अनुज्ञा 02. श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम रूत कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत वेसमैन्ट अनुज्ञा 03. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम रोगलचौड़ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा 04. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीकाशम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, गोतीराम हल्द्वौड़ तहसील लालकुर्आ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा 05. श्री हिमात सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष में ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा का निरीक्षण किया गया। (निरीक्षण रिपोर्ट पृथक से संलग्न है)

अतः उक्तानुसार जॉच आख्या गय संलग्नों सहित सावर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(रेखा कोहली)
उप जिलाधिकारी,
कालाढूंगी।

-: नोटिस :-

श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,
निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी,
जनपद नैनीताल।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर, 2021 द्वारा आपके पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा स्थल का दिनांक 27.12.2021 को संयुक्त समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में 20436 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन पाये जाने पर रु. 67,59,245.00 (सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैतालीस रुपये मात्र) वसूलने की संस्तुति की गई थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 64/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए 15 दिनों भीतर प्रतिउत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर भी आतिथि तक अप्राप्त है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको प्रकरण में नोटिस प्राप्त से 07 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के अन्दर आपके द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, तो समझा जायेगा कि आपको अपने प्रतिउत्तर में कुछ नहीं कहना है तथा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

BR
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 68/30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 08 फरवरी, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- तहसीलदार, कालाढूँगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

BR
जिलाधिकारी,
नैनीताल



e-Challan

Bank Ref. No. - CKT2019444

35

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount



Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	HIMMAT SINGH S/O SHRI KARTAR SINGH
2	Address	VILLAGE PATTAPANI TEHSIL KALADHUNGI DISTT NAINITAL
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Royalty Deposit (imposed vide notice no. 64/30-GC/2021-22 dt. 7 Jan 2022 at village Pattapani tehsil Kaladhungi Distt Nainital
5	Gross value of Challan	3259245
6	Net value of Challan	3259245
7	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
8	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	3259245
	Total Challan Amount-		3259245

Amount (in words) - Rs. Thirty-Two Lakh Fifty-Nine Thousand Two Hundred Forty-Five only

Signature of departmental officer with seal

HIMMAT SINGH S/O SHRI KARTAR SINGH

Challan No- 08530322E0850385

Amount in Figure(Rs.) - 3259245

Date - 23-MAR-2022

Amount in words - Rs. Thirty-Two Lakh Fifty-Nine Thousand Two Hundred Forty-Five only

Received Through

Bank Ref. No. - CKT2019444

State Bank Of India (Payment Gateway)



e-Challan

Bank Ref. No. - CKT1930448

36

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part-II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount



Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	HIMMAT SINGH S/O SHRI KARTAR SINGH
2	Address	VILLAGE PATTAPANI TEHSIL KALADHUNGI DISTT NAINITAL
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Royalty Deposit (imposed vide notice no. 64/30-GC/2021-22 dt. 7 Jan 2022 at village Pattapani tehsil Kaladhungi Distt Nainital
5	Gross value of Challan	3500000
6	Net value of Challan	3500000
7	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
8	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
	Mineral Concession Fee rent and interest charges	0853001020100	3500000
	Total Challan Amount-		3500000

Amount (in words) - Rs. Thirty-Five Lakh only

Signature of departmental officer with seal

HIMMAT SINGH S/O SHRI KARTAR SINGH

Challan No- 08530322E0850335

Amount in Figure(Rs.) - 3500000

Date - 23-MAR-2022

Amount in words - Rs. Thirty-Five Lakh only

Received Through

Bank Ref. No. - CKT1930448

State Bank Of India (Payment Gateway)


संयुक्त निरीक्षण आख्या

अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल, उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 को ग्राम सेमलचौड में स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण अनुज्ञा धारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिनकी निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

01:- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्द्वचौड तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा:- उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021-5(73)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम तहसील लालकुआ, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड में, खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रक्वा 5.017 है० मध्ये 2.470 है० (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई एवं 175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई)में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर०बी०एम० की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत दिनांक 26.03.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू० 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू० 11,85,18,400.00 (ग्यारह करोड पिचासी लाख अठारह हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत आज दिनांक 26.04.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 5 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई, 04 मीटर गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 5 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) 04 मीटर अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 174400 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 174400 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू० 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू० 13,42,88,400.00 (तेरह करोड बयासी लाख अठासी हजार चार सौ) वसूलने एवं ई-रवन्ना पोर्टल आई० डी० को बन्द करने की की संस्तुति की जाती है।




02:- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूंगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/ VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160./1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0,174/2,175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर

गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् ₹0 140 प्रति टन की दर से ₹0 6294288.00 (₹0 बासठ लाख चौरानबे हजार दो सौ अठठासी) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर आज दिनांक 26.04.2022 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है० क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 15 मीटर तक (स्वीकृत 06 मीटर की गहराई, 02 मीटर गहराई के अतिरिक्त) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई) में कुल 97392 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई में 38400 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 135792 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 135792 घन मीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पांच गुना अर्थात् ₹0 770 प्रति घनमीटर की दर से ₹0 104559840 (दस करोड पैतालीस लाख उनसठ हजार आठ सौ चालीस ₹0) वसूलने एवं ई-रवन्ना पोर्टल आई० डी० को बन्द करने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

उक्त के अतिरिक्त श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, ग्राम सेमलचौड स्थित अनुज्ञा स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा गढढो को भरा नहीं गया है। सुखराज सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह, ग्राम सेमलचौड की अनुज्ञा स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत ही अनुज्ञा का कार्य किया जा रहा है। मौके पर सीमा बंदी हेतु लगे पीलर गिरे पाये गये, जिन्हे तत्काल सही कराने हेतु निर्देशित किया गया। श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह ग्राम सेमलचौड के अनुज्ञा स्थल पर निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा गढढो को भरा नहीं गया है


अतः तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र-बैलापगव



(उपजिलाधिकारी)
कालाढूगी।



(सर्वेक्षक)
भूतत्त्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी



अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी
(अनुज्ञाधारक—ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी)

उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी के कार्यालय पत्र संख्या 494/पी.ए./2022 दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवम् खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.04.2022 को ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औद्योगिक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :-
उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2.24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंचातीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई थी।

उक्त आख्या के आधार पर कार्यालय पत्र संख्या 68/30- जी.सी./2021-22 दिनांक 08 फरवरी, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आपके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है, कि उनके द्वारा अर्धदण्ड की घनराशि ई चालान संख्या 08530322E0850335 एवम् 08530322E0850385 दिनांक 23 मार्च, 2022 द्वारा जमा कर दी गई है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर आज दिनांक 26.04.2022 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी. के स्थान पर गहराई 15 मीटर तक (स्वीकृत 06 मीटर की गहराई, 02 मीटर गहराई के अतिरिक्त) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में कुल 97,392 घनमीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में 38,400 घनमीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 1,35,792 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,35,792 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पौंच गुना अर्थात् रू. 770 प्रति घनमीटर की दर से रू. 10,45,59,840 (दस करोड़, पैंतालीस लाख, उन्सठ हजार, आठ सौ चालीससहस्रपये मात्र) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन है।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रोत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धाराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 12 / 30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 05 मई, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार ई-रवन्ना पोर्टल आई.डी. को तत्काल बन्द किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3- तहसीलदार कालाढूँगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(धाराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन,
देरहादून।

संख्या : 25/30-जी.सी./2022-23

दिनांक : 03 नवम्बर, 2022

विषय : सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार बाड़ लगाये जाने तथा स्वीकृत स्थल में मिट्टी का भरण कर उक्त स्थल को समतल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 518/भू.खनि.ई./खनन अनु./2022-23 दिनांक 27 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जनपद नैनीताल के तहसील कालादूँगी एवम् रामनगर में खनन अनुज्ञाएँ स्वीकृत की गयी थीं, जिसके कतिपय अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित उद्देश्य एवम् प्रतिबंधित शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, जिस हेतु उनके कार्यालय द्वारा समय-समय पर अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में चारों ओर चार दीवानी निर्माण या तार बाड़ करने तथा निकाले गये उपखनिज की जगह मिट्टी भरण करने व उक्त स्थल को समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। अनुज्ञाधारकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
2	हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-पत्तापानी/कालादूँगी)
3	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी दुर्गापालपुर, लालकुआँ, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
4	कृपाल सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम जीवानन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सक्खनपुर/रामनगर)
5	अमरीक सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम बैलजूड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सक्खनपुर/रामनगर)
6	गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी बिशनपुर, कालादूँगी, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-उदयपुरी/कालादूँगी)
7	रविन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह, ग्राम बन्दरजूड़ा, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-बन्दरजूड़ा/कालादूँगी)
8	कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी सूद कॉलोनी, बाजपुर, उ.सि.नगर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
9	करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)

कई बार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर चार दीवारी निर्माण/तार बाड़ व खोदे गये गड्ढे में मिट्टी भरण कर उक्त स्थल को समतल नहीं किया गया है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थलों (गड्ढों) में चार दीवारी/तार बाड़ न होने पर अनाधिकृत प्रवेश होने व जान माल की हानि/दुर्घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर चार दीवारी/तार बाड़ होना अत्यन्त आवश्यक है। नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। तदक्रम में आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या के क्रम में उक्त अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 344/30- जी.सी./2022-23 दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परन्तु उक्त अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ अथवा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गड्ढों को भरे जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देशा प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल


संख्या-2140 / VII-A-1 / 2021-05(73) / 2021

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2021

विषय: श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी-दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है० मध्ये 2.470 है० भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-3546/खनन/भू०खनि०ई०/नैनी०/2021-22, दिनांक 07.12.2021 द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-3 में किये गये अतिरिक्त प्रावधानानुसार आवेदक श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी-दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है० मध्ये 2.470 है० भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-रवन्ना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 276640 घनमीटर आर०बी०एम० की रायल्टी रू० 4,26,02,560/-, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू० 63,90,384/- तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू० 8,52,052/- तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन की धनराशि रू० 1,06,50,640/- का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
5. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक के विरुद्ध त्रियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।
7. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

Dr. J. K. Singh

Dr. J. K. Singh

[Handwritten signature]

8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार-बाड़ लगाना जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा संभाली जा सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
10. अनुज्ञाधारक द्वारा आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही आवेदित भूमि से उपखनिजों की निकासी की जायेगी।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2140 (1)/VII-A-1/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, कुमायूं परिक्षेत्र, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी-दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

इरा ई-मेल

संलग्नक-13

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
जनपद-नैनीताल

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांक: 1570/भू0खनि0इ0/अ0ख0/2021-22,

दिनांक 29 मार्च, 2022

विषय: ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के औचक निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके कार्यालय के पत्रांक सं० 1910/30 जी०सी०/2021-22 दिनांक 15.03.2022 के अनुपालन में श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम, श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, श्री गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ एवं श्री काबुल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह के पक्ष में ग्राम कनकपुर, तहसील कालादूगी जनपद नैनीताल में स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण दिनांक 26.03.2022 को अधोहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी, कालादूगी के नेतृत्व में खनन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया जिनकी संयुक्त निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय
(राजपाल लघा)
अपर निदेशक

सं०-

/तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

(अपर निदेशक)

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 1910/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 15.03.2022 के अनुपालन में अपर निर्देशक भूतत्व एवं खनिकर्म सूकाई एवं उपजिलाधिकारी कालादूंगी के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा आज दिनांक 26.03.2022 को ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा स्थल का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। जिनकी निरीक्षण आख्याक्रमशः निम्नवत है:-

01:- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवारी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम तहसील लालकुआ,जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :- उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021-573/2021 दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवारी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम तहसील लालकुआ,जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड में, खसरा संख्या 229/4,229/3/1, 230/3, 229/5/2,229/5/1 कुल रक्बा 5.017 है0 मध्ये 2.470 है0 (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई एवं 175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई) में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 11,85,18,400.00 (ग्यारह करोड पिचासी लाख अठारह हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति की जाती है। जिनके फोटोग्राफ संलग्न है।



(Signature)

(Signature)



इस संदर्भ में निरीक्षण अथवा महादय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-बैलपडाद/बन्दरजूडा
तहसील कालादुंगी।

निरीक्षक
भूतत्व एवं खनन इकाई
हल्द्वानी।

अपर निदेशक
भूतत्व एवं खनन इकाई
हल्द्वानी।

उपनिरीक्षक
कालादुंगी।

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम,
निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ,
जनपद नैनीताल।

अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 1570/भू. खनि.इ./अ.ख./2021-22 दिनांक 29 मार्च, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 1910/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 15.03.2022 के अनुपालन में श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम, श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, श्री गुरबिन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ एवम् श्री काबुल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह के पक्ष में ग्राम कनकपुर, तहसील कालादूँगी, जनपद नैनीताल में स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण दिनांक 26.03.2022 को अपर निदेशक खनन एवम् उप जिलाधिकारी, कालादूँगी के नेतृत्व में खनन एवम् राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :-

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021-5(73)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ में खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है. मध्ये 2.470 है. (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई एवम् 175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी छः माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एवम् औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रूप से खननकार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् रु. 770 प्रतिघनमीटर की दर सं रु. 11,85,18,400.00 (रु. ग्यारह करोड़, पिचासी लाख, अठारह हजार, चार सौ मात्र) वसूलने की संस्तुति की गई है। जिनके फोटोग्राफ संलग्न किये गये हैं।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली 2005 यथा संशोधित, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 05 /30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 11 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी, रामनगर को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- तहसीलदार कालादूँगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

संयुक्त निरीक्षण आख्या

अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल, उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 को ग्राम सेमलचौड में स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण अनुज्ञा धारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिनकी निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

01/ श्री सुभाष चंद्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्द्वचौड तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा:- उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021-5(73)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा श्री सुभाष चंद्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम तहसील लालकुआ, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड में, खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रक्वा 5.017 है० मध्ये 2.470 है० (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई एवं 175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर०बी०एम० की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत दिनांक 26.03.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू० 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू० 11,85,18,400.00 (ग्यारह करोड पिचासी लाख अठारह हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत आज दिनांक 26.04.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 5 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई, 04 मीटर गहराई के अतिरिक्त) एवं औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 5 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) 04 मीटर अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 174400 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 174400 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू० 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू० 13,42,88,400.00 (तेरह करोड बयासी लाख अठासी हजार चार सौ) वसूलने एवं ई-रवन्ना पोर्टल आई० डी० को बन्द करने की संस्तुति की जाती है।




02:- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूंगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/ VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0,174/2,175/1 कुल 3.687 है० मध्ये 2.337 है० भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर०बी०एम० की निकासी छ साह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है० क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर

गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू० 140 प्रति टन की दर से रू० 6294288.00 (रू० बासठ लाख चौरानबे हजार दो सौ अठ्ठासी) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर आज दिनांक 26.04.2022 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है० क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 15 मीटर तक (स्वीकृत 06 मीटर की गहराई, 02 मीटर गहराई के अतिरिक्त) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई) में कुल 97392 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई में 38400 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 135792 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 135792 घन मीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पांच गुना अर्थात् रू० 770 प्रति घनमीटर की दर से रू० 104559840 (दस करोड पैतालीस लाख उनसठ हजार आठ सौ चालीस रू०) वसूलने एवं ई-रवन्ना पोर्टल आई० डी० को बन्द करने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

उक्त के अतिरिक्त श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, ग्राम सेमलचौड स्थित अनुज्ञा स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा गढढो को भरा नहीं गया है। सुखराज सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह, ग्राम सेमलचौड की अनुज्ञा स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत ही अनुज्ञा का कार्य किया जा रहा है। मौके पर सीमा बंदी हेतु लगे पीलर गिरे पाये गये, जिन्हे तत्काल सही कराने हेतु निर्देशित किया गया। श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह ग्राम सेमलचौड के अनुज्ञा स्थल पर निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा गढढो को भरा नहीं गया है


अतः तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र-बैरापगव



(उपजिलाधिकारी)
कालादूगी।



(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी



अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,

मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआँ (अनुज्ञाधारक-ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालादूँगी)

उप जिलाधिकारी, कालादूँगी के कार्यालय पत्र संख्या 494/पी.ए./2022 दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवम् खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.04.2022 को ग्राम सैमलचौड़ में स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआँ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा :- "उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021-5(73)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड़ में खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है. मध्ये 2.470 है. (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7.0 मीटर गहराई एवम् 175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7.0 मीटर गहराई) में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी छः माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत दिनांक 26.03.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई x 90 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एवम् औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई x 80 मीटर चौड़ाई x 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रूप से खननकार्य किया गया, जिसमें स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् रु. 770 प्रतिघनमीटर की दर सं रु. 11,85,18,400.00 (रु. ग्यारह करोड़, पिचासी लाख, अठारह हजार, चार सौ मात्र) वसूलने की संस्तुति की गई है।

उक्त आख्या के आधार पर कार्यालय पत्र संख्या 05/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आपका प्रतिउत्तर आतिथि तक अप्राप्त है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत आज दिनांक 26.04.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई x 90 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई, 04 मीटर गहराई के अतिरिक्त) एवम् औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई x 80 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) 04 मीटर अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,74,400 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,74,440 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् रु. 770 प्रतिघनमीटर की दर सं रु. 13,42,88,400.00 (तेरह करोड़, बयासी लाख, अठासी हजार, चार सौ रुपये मात्र) वसूलने एवम् ई-रवन्ना पोर्टल आई.डी. को बन्द करने की संस्तुति की गई है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन हैं।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

११
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
११ नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 11 / 30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 05 मई, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी, कालादूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अपर निर्देशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार ई-रवन्ना पोर्टल आई.डी. को तत्काल बन्द किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3- तहसीलदार कालादूँगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथारोघ नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

११
जिलाधिकारी,
नैनीताल

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन,
देरहादून।

क्रमांक-3

संख्या : 25/30-जी.सी./2022-23

दिनांक : 03 नवम्बर, 2022

विषय : सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार बाड़ लगाये जाने तथा स्वीकृत स्थल में मिट्टी का भरण कर उक्त स्थल को समतल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 518/भू.खनि.ई./खनन अनु./2022-23 दिनांक 27 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जनपद नैनीताल के तहसील कालादूँगी एवम् रामनगर में खनन अनुज्ञाएँ स्वीकृत की गयी थीं, जिसके कतिपय अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित उद्देश्य एवम् प्रतिबंधित शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, जिस हेतु उनके कार्यालय द्वारा समय-समय पर अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में चारों ओर चार दीवानी निर्माण या तार बाड़ करने तथा निकाले गये उपखनिज की जगह मिट्टी भरण करने व उक्त स्थल को समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। अनुज्ञाधारकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
2	हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-पत्तापानी/कालादूँगी)
3	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी दुर्गापालपुर, लालकुआँ, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
4	कृपाल सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम जीवनन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सकखनपुर/रामनगर)
5	अमरीक सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम बैलजुड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सकखनपुर/रामनगर)
6	गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी बिरानपुर, कालादूँगी, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-उदयपुरी/कालादूँगी)
7	रविन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह, ग्राम बन्दरजुड़ा, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-बन्दरजुड़ा/कालादूँगी)
8	कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी सूद कॉलोनी, बाजपुर, उ.सि.नगर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
9	करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)

कई बार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर चार दीवारी निर्माण/तार बाड़ व खोदे गये गड्ढे में मिट्टी भरण कर उक्त स्थल को समतल नहीं किया गया है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थलों (गड्ढों) में चार दीवारी/तार बाड़ न होने पर अनाधिकृत प्रवेश होने व जान माल की हानि/दुर्घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर चार दीवारी/तार बाड़ होना अत्यन्त आवश्यक है। नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। तदक्रम में आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या के क्रम में उक्त अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 344/30-जी.सी./2022-23 दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परन्तु उक्त अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ अथवा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के परचात् खोदे गये गड्ढों को भरे जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देशा प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

:- आदेश :-

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 औद्योगिक विकास अनुभाग-1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन तथा उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 766/भू.खनि.इ./खनन अनु./2021-22 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवम् निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2340/खनन/भू.खनि.इ./2021-22 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदक श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426-1431 फसली के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रकवा 1.676 है, खाता संख्या 85 के खसरा नं. 231/4/2 रकवा 1.474 है। भूमि व खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रकवा 2.745 है। भूमि कुल 5.895 है। भूमि मध्ये रकवा 0.753 है। भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई एवम् गहराई 12 मीटर क्षेत्रफल में साइज में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए, जिसमें 1,44,693 घनमीटर आर.बी.एम. निकलने की सम्भावना है, जिसकी रॉयल्टी रु. 154/- प्रतिघनमीटर की दर से रु. 02,22,82,729/- (दो करोड़, बाईस लाख, बयासी हजार, सात सौ उन्तीस रुपये मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रॉयल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रु. 37,88,064/- (सैंतीस लाख, अठासी हजार, चौंसठ रुपये मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराये जाने तथा इसके अतिरिक्त रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रु. 55,70,683/- (पचपन लाख, सत्तर हजार, छः सौ तिरासी रुपये मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराये जाने के उपरान्त, होटल निर्माण के बेसमेन्ट पार्किंग निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भू-भाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति खनन कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम.एम.-12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवम् पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शासन एवम् जिलाधिकारी, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमेन्ट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
4. यदि बेसमेन्ट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमेन्ट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
5. बेसमेन्ट हेतु निर्मित गढ़बे के चारों तरफ फेंसिंग की जायेगी, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। यदि बेसमेन्ट निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
6. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो

(2)

- निकाहा गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।
7. यदि बेसमेंट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो बेसमेंट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जप्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
 8. आर.बी.एम. की निकासी/उठान उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर.बी.एम. पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।
 9. खुदान स्थल का सीमांकन आवेदक द्वारा संलग्न खसरा/मानचित्र के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ते हुए राजस्व एवम् खनन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वयं के व्यय पर किया जायेगा, जिसका सत्यापन अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् किया जायेगा। तत्पश्चात् ही खुदान का कार्य किया जायेगा।
 10. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सीमांकित क्षेत्र से बाहर खुदान किए जाने पर अनुज्ञाधारक पर नियमानुसार, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 11. खुदान के दौरान किसी भी भाग/भूखण्ड को सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
 12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अर्न्तगत स्वयं कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
- नोट :- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

ह./-

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1643/30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।
- 3- उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
- 4- श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।

अपर जिलाधिकारी (वि./सा.),
नैनीताल

10

संलग्न-19

पेज-2

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
नैनीताल स्थित हल्द्वानी



04 JAN 2022

सेवा में

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांक: 1044/भू0खनि0ई0/खनन अनु0/2021-22,

दिनांक: 06 दिसम्बर 2021

विषय: तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञाओ का औचक निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 25.11.2021 को उपजिलाधिकारी कालाढूंगी एवं सयुक्त निदेशक (खनन कुमाऊ मंडल), भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवं खनन विभाग की सयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञाओ का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। जिनकी सयुक्त निरीक्षण आख्या मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: सयुक्त निरीक्षण आख्या फोटोग्राफ।

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
संख्या 3967 दिनांक 15/1/22

OC/AC

प्रभारी अधिकारी

कृते जिलाधिकारी

Nainital

(राजपाल लेघा)
अपर निदेशक

06/12/21

पत्र तथा संख्या उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—महानिदेशक, महोदय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजपाल लेघा)
अपर निदेशक

आज दिनांक 25.11.2021 को उपजिलाधिकारी कालादूंगी एवं सयुक्त निदेशक (खनन,कुमाऊ मंडल), भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवं खनन विभाग की सयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालादूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञायो एवं समतलीकरण अनुज्ञा का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियो की उपस्थिति में किया गया। जिनकी निरीक्षण आख्यायेक्रमशः निम्नवत है:-

01:-/ श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड तहसील कालादूंगी के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड मे स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है,जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख नवासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। जिनके फोटोग्राफ संलग्न है।

02:- श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है0,खाता संख्या 85 के , खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई X 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई X 45 मीटर चौड़ाई X 14.50 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2 मीटर अधिक गहराई



के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0X 45 मी0X 2मी0) कुल 10080 घन मीटर (कुल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, मण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,4640.00 (इकतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। जिनके फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र- वैलापड़ाव

(संयुक्त निदेशक, खनन, कुमाऊं)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी
(उपजिम्माधिकारी)
कालादूगी



दिनांक 25.11.2021 को श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड तहसील कालादूँगी के पक्ष में ग्राम सेमलचौड तहसील कालादूँगी में स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा: अनुज्ञा स्थल के फोटोग्राफ।

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश में याचिका में उल्लिखित तथ्यों एवं याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में याचिका से संबंधित उत्तरदाता संख्या 7-एल0एस0सी0स्टोन केशर,ग्राम गोबरा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 8-एल0 एस0 सी0 स्टोन केशर,ग्राम बन्नाखेड़ा ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 9-दाबका स्टोन केशर,ग्राम गजरौला ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 10-ओमकार स्टोन केशर,ग्राम इटव्वा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम बैलपड़ाव तहसील कालाढूंगी, जनपद में किये जा रहे अवैध खनन के संबंध में याचिकाकर्ता व उत्तरदाता संख्या 7 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की जांच कराते हुए 30 दिन के अन्दर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने निर्देश दिये गये है, उक्त माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1210/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 20 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रकरण में जांच उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करते हुए तथा याचिकाकर्ता व उत्तरदाता संख्या 07 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपनी स्पष्ट जांच आख्या मय फोटोग्राफ चार दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आज दिनांक 27.12.2021 को उपजिलाधिकारी कालाढूंगी एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञायो एवं समतलीकरण अनुज्ञायो का संयुक्त निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त याचिका में उत्तरदाता संख्या 07 से 10 से संबंधित समस्त स्टोन केशर तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर में स्वीकृत एवं स्थापित है तथा ग्राम सैमलचौड/बैलपड़ाव में उक्त स्टोन केशरों के नाम कोई भी खनन अनुज्ञाये वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के पत्र संख्या 357/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में उत्तरदाता संख्या 7 से 10 एवं याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12.2021 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसका विवरण पृथक से संलग्न है। स्थलीय निरीक्षण आख्याये निम्नवत है:-

01:- श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व

उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237-35,214.00-2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक 1)।

02:- श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है, खाता संख्या 85 के , खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है, भूमि कुल 5.895 है, भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है, भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई X 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग



पर बसमेंट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320-1,44,693-10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर / 4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात् रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेंट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 2)।

03- श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा:- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021 -22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एवं खसरा संख्या 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रक्वा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2161/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष में ग्राम सैमलचौड तहसील कालादूंगी में 2.430 है० भूमि में समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

04:- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा:- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू०ख०ई०/खनन अनुज्ञा/2021-22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रक्वा 1.253 है०, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रक्वा 1.521 है०, खसरा संख्या 230/3 रक्वा 0.996 है०, खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रक्वा 0.032 है०, खाता संख्या 70 के रक्वा 229/5/1 रक्वा 1.215 है० भूमि कुल 5.017 है० भूमि मध्ये रक्वा 2.470 है० भूमि में (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई) (175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर०बी०एम० की स्वीकृति के संबध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2140/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम के पक्ष में ग्राम सैमलचौड में 2.470 है० भूमि में समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूंगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है० मध्ये 2.337 है० भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर०बी०एम० की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।


उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है० क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते

हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंचातीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 5)।


अतः तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र- बैलपडाव



(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी



(अपर निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी



(उपजिलाधिकारी)
कालादूगी

कार्यालय उपजिलाधिकारी कालादूंगी जिला नैनीताल
पत्र संख्या:- 366/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने आदेश संख्या:-1810/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में गौजित जनहित याचिका संख्या-200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एवम् अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 पारित आदेश के सम्बन्ध में महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा 1. हरकेश कुमार पुत्र हंसराज निवासी ग्राम गजरीला, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (याचिका कर्ता) 2. संचालक, एल0एस0सी0 स्टोन केशर, ग्राम गोबरा तहसील बाजपुर (उत्तरदाता संख्या 7) 3. संचालक, एल0एस0सी0 स्टोन केशर, ग्राम बन्नाखेड़ा, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-8) 4. संचालक, दाबका स्टोन केशर ग्राम गजरीला, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-9) 5. संचालक, ओंकार स्टोन केशर, ग्राम इटावा, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-10) को दिनांक 27.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किये गये।

उक्त नोटिस के क्रम में केवल उत्तरदाता संख्या 7 व 8 एल0एस0सी0 इन्फाटेक लि0 ग्राम गोबरा एवं ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.12.2021 के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त न ही याचिका कर्ता हरकेश कुमार एवं अन्य उत्तरदाता दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित नहीं हुए एवं न ही उनके द्वारा कोई लिखित कथन प्रस्तुत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी के साथ ग्राम सोमलचौड़ में 01. श्री करम सिंह पुत्र सुखा सिंह निवासी ग्राम समलचौड़ तहसील कालादूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेंट अनुज्ञा 02. श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेंट अनुज्ञा 03. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सोमलचौड़ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा 04. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीकाशम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्द्वौड़ तहसील लालकुर्आ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा 05. श्री हिममत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूंगी के पक्ष में ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा का निरीक्षण किया गया। (निरीक्षण रिपोर्ट पृथक से संलग्न है)

अतः उक्तानुसार जॉब आख्या गय संलग्नों सहित सावर सेवा में प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(रेखा कोहली)
उप जिलाधिकारी,
कालादूंगी।

श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह,
निवासी ग्राम सूद कालोनी, तहसील बाजपुर,
जनपद ऊधमसिंहनगर।

उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अगवत कराया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश व तदक्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1810/30-जी.सी./2021- 22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के साथ ग्राम सैमलचौड़ व ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा एवम समतलीकरण अनुज्ञाओं का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30- जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है0, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.01.2022 को आपको प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.

2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320-1,44,693-10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली 2005 यथा संशोधित, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः आप दिनांक 25.11.2021 तथा 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण में पाये गये अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्त के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नही हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशो/अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)

जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 63 / 30-जी.सी./ 2021-22

दिनांक 67 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- तहसीलदार, बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

—: आदेश —:

उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/ 2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अगवत कराया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश व तदक्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1810/30-जी.सी./2021- 22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के साथ ग्राम सेमलचौड़ में 01. करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा, 02. श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा, 03. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा, 04. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम, निवासी ग्राम दुगौपालपुर, मोतलराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा, 05. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी के पक्ष में ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है :-

01:- श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा :-
इस कार्यालय के आदेश संख्या 1644/30- जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई x 12 मीटर चौड़ाई x 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 x 12 मी0 x 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237-35,214.00-2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 छठसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

02:- श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा :-
इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30- जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है0, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई में स्वेल

फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320-1,44,693-10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

03- श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा :- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/ भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021-22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एवं खसरा संख्या 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रक्वा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबंध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2161/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड तहसील कालादूंगी मे 2.430 है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

04:- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्द्वचौड तहसील लालकुआ के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा :- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021-22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्द्वचौड, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रक्वा 1.253 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रक्वा 1.521 है0, खसरा संख्या 230/3 रक्वा 0.996 है0, खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रक्वा 0.032 है0, खाता संख्या 70 के रक्वा 229/5/1 रक्वा 1.215 है0 भूमि कुल 5.017 है0 भूमि मध्ये रक्वा 2.470 है0 भूमि में (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबंध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2140/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड मे 2.470 है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूंगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी

1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंहालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

अतः उप जिलाधिकारी, कालादूंगी द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर तथा बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी अनुमति में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने व पूर्व में भी अवैध खनन में संलिप्तता पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस दिनांकित 05.01.2022 के आधार पर इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 व 1644/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर व श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालादूंगी को जारी की गई बेसमेन्ट खुदान की अनुमति को, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। प्रश्नगत क्षेत्र की परिधि में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत अनुज्ञाधारक द्वारा फेंसिंग करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जुर्माने की धनराशि जमा होने तक प्रश्नगत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य न किया जाये। तदनुसार प्रश्नगत क्षेत्र सीज समझा जाये। अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल उक्तानुसार फेंसिंग/सीज की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(धाराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

दिनांक : 07 जनवरी, 2022

संख्या : 1050 /30-जी.सी./2021-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, औद्योगिक अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- उपजिलाधिकारी, कालादूंगी।
- 3- अपर निदेशक, खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
- 4- श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।
- 5- श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालादूंगी।
- 6- हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूंगी।

(धाराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन,
देरहादून।

संख्या : 25/30-जी.सी./2022-23

दिनांक : 03 नवम्बर, 2022

विषय : सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार बाड़ लगाये जाने तथा स्वीकृत स्थल में मिट्टी का भरण कर उक्त स्थल को समतल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 518/भू.खनि.ई./खनन अनु./2022-23 दिनांक 27 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जनपद नैनीताल के तहसील कालादूँगी एवम् रामनगर में खनन अनुज्ञाएँ स्वीकृत की गयी थीं, जिसके कतिपय अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित उद्देश्य एवम् प्रतिबंधित शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, जिस हेतु उनके कार्यालय द्वारा समय-समय पर अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में चारों ओर चार दीवानी निर्माण या तार बाड़ करने तथा निकाले गये उपखनिज की जगह मिट्टी भरण करने व उक्त स्थल को समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। अनुज्ञाधारकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
2	हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-पत्तापानी/कालादूँगी)
3	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी दुर्गापालपुर, लालकुआँ, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
4	कृपाल सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम जीवनन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सखनपुर/रामनगर)
5	अमरीक सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम बैलजुडी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सखनपुर/रामनगर)
6	गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी ब्रिशनपुर, कालादूँगी, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-उदयपुरी/कालादूँगी)
7	रविन्द्र सिंह पुत्र श्री उमद सिंह, ग्राम बन्दरजूड़ा, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-बन्दरजूड़ा/कालादूँगी)
8	कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी सूद कॉलोनी, बाजपुर, उ.सि.नगर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
9	करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)

कई बार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर चार दीवारी निर्माण/तार बाड़ व खोदे गये गड्ढे में मिट्टी भरण कर उक्त स्थल को समतल नहीं किया गया है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थलों (गड्ढों) में चार दीवारी/तार बाड़ न होने पर अनाधिकृत प्रवेश होने व जान माल की हानि/दुर्घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर चार दीवारी/तार बाड़ होना अत्यन्त आवश्यक है। नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। तदक्रम में आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या के क्रम में उक्त अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 344/30-जी.सी./2022-23 दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परन्तु उक्त अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ अथवा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के परचात् खोदे गये गड्ढों को भरे जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देशा प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

संलग्न-24

—: आदेश :-

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 औद्योगिक विकास अनुभाग-1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन तथा उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 783/भू.खनि.इ./खनन अनु./2021-22 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवम् निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2340/खनन/भू.खनि.ई./2021-22 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदक श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम, सेमलचौड़ बैलपड़ाव, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426-1431 फसली के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121मि., खसरा संख्या 88मि., तथा खसरा संख्या 89मिन, व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88मि. व खसरा संख्या 89मि. मध्ये 0.241 है. भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई एवम् गहराई 9.14 मीटर क्षेत्रफल में साइज में स्वेल् फैक्टर 1.6 मानते हुए, जिसमें 35214 घनमीटर आर.बी.एम. निकलने की सम्भावना है, जिसकी रॉयल्टी रु. 154/- प्रतिघनमीटर की दर से रु. 54,22,956/- (चब्वन लाख, बाईस हजार, नौ सौ छप्पन रुपये मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रॉयल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रु. 09,21,903/- (नौ लाख, ईक्कीस हजार, नौ सौ तीन रुपये मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराये जाने तथा इसके अतिरिक्त रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रु. 13,55,739/- (तेरह लाख, पचपन हजार, सात सौ उन्तालीस रुपये मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराये जाने के उपरान्त, बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भू-भाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35214 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति खनन कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम.एम.-12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवम् पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शासन एवम् जिलाधिकारी, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमेन्ट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
4. यदि बेसमेन्ट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमेन्ट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
5. बेसमेन्ट हेतु निर्मित गढ़दे के चारों तरफ फेंसिंग की जायेगी, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। यदि बेसमेन्ट निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
6. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

(2)

7. यदि बेसमेंट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो बेसमेंट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
 8. आर.बी.एम. की निकासी/उठान उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर.बी.एम. पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।
 9. खुदान स्थल का सीमांकन आवेदक द्वारा संलग्न खसरा/मानचित्र के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ते हुए राजस्व एवम् खनन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वयं के व्यय पर किया जायेगा, जिसका सत्यापन अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् किया जायेगा। तत्पश्चात् ही खुदान का कार्य किया जायेगा।
 10. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सीमांकित क्षेत्र से बाहर खुदान किए जाने पर अनुज्ञाधारक पर नियमानुसार, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 11. खुदान के दौरान किसी भी भाग/भूखण्ड को सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
 12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अर्न्तगत स्वयं कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
- नोट :-** उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

ह./-
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1644/30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर. सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।
- 3- उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
- 4- श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्या सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ बैलपड़ाव, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
नैनीताल

संलग्नक-२५
पत्र-१

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
नैनीताल स्थित हल्द्वानी

सेवा में

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

04 JAN-2022

पत्रांक: 1044/भू0खनि0ई0/खनन अनु0/2021-22,

दिनांक: 06 दिसम्बर 2021

विषय: तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञाओ का औचक निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 25.11.2021 को उपजिलाधिकारी कालाढूंगी एवं सयुक्त निदेशक (खनन कुमाऊ मडल), भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवं खनन विभाग की सयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञाओ का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। जिनकी सयुक्त निरीक्षण आख्या मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: सयुक्त निरीक्षण आख्या फोटोग्राफ।

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
संख्या 3967 दिनांक 13/1/22

00/40
प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी

06/12/21
राजपाल लघा
अपर निदेशक

पत्र तथा संख्या उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—महानिदेशक, महोदय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजपाल लघा)
अपर निदेशक

आज दिनांक 25.11.2021 को उपजिलाधिकारी कालाढूंगी एवं सयुक्त निदेशक (खनन,कुमऊ मंडल), भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवं खनन विभाग की सयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञायो एवं समतलीकरण अनुज्ञा का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियो की उपस्थिति में किया गया। जिनकी निरीक्षण आख्यायेक्रमशः निम्नवत है:-

✓ 01:-/ श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड मे स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है,जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख नवासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। जिनके फोटोग्राफ संलग्न है।

02:- श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है0,खाता संख्या 85 के , खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई X 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई X 45 मीटर चौड़ाई X 14.50 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2 मीटर अधिक गहराई

प्रनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0X 45 मी0X 2मी0) कुल 10080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,4640.00 (इकतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। जिनके फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)

क्षेत्र- वैलपडाव

(संयुक्त निदेशक, खनन, कुमाऊ)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

(सर्वेक्षक)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,

हल्द्वानी

(उपजिम्माधिकारी)

कालाढूगी



दिनांक 25.11.2021 को श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूँगी के पक्ष में ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूँगी में स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा: अनुज्ञा स्थल के फोटोग्राफ।

:- नोटिस :-

संलग्नक-26

श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह,
निवासी ग्राम सेमलचौड़,
तहसील कालादूंगी,
जनपद नैनीताल।

अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 1044/भू.खनि.ई./खनन अनु./2021-22 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अगवत कराया गया है कि दिनांक 25.11.2021 को उप जिलाधिकारी, कालादूंगी एवम् संयुक्त निदेशक (खनन, कुमाऊँ मण्डल), भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवम् खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालादूंगी में ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञाओं का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर महोदय के अवलोकनार्थ एवम् अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है, संयुक्त निरीक्षण आख्या में अगवत कराया गया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनसी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली 2005 यथा संशोधित, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

दिनांक : 05 जनवरी, 2022

संख्या : 6 / 30-जी.सी./2021-22

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी, कालादूंगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- तहसीलदार, कालादूंगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश में याचिका में उल्लिखित तथ्यो एवं याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में याचिका से संबंधित उत्तरदाता संख्या 7-एल0एस0सी0स्टोन केशर,ग्राम गोबरा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 8-एल0 एस0 सी0 स्टोन केशर,ग्राम बन्नाखेड़ा ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 9-दाबका स्टोन केशर,ग्राम गजरौला ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 10-ओमकार स्टोन केशर,ग्राम इटव्वा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम बैलपड़ाव तहसील कालादूंगी, जनपद में किये जा रहे अवैध खनन के संबध में याचिकाकर्ता व उत्तरदाता संख्या 7 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की जाच कराते हुए 30 दिन के अन्दर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने निर्देश दिये गये है, उक्त माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1210/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 20 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रकरण में जाच उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करते हुए तथा याचिकाकर्ता व उत्तरदाता संख्या 07 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपनी स्पष्ट जांच आख्या मय फोटोग्राफ चार दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के संबध में आज दिनांक 27.12.2021 को उपजिलाधिकारी कालादूंगी एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालादूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञायो एवं समतलीकरण अनुज्ञायो का संयुक्त निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियो की उपस्थिति में किया गया। इस संबन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त याचिका मे उत्तरदाता संख्या 07 से 10 से संबधित समस्त स्टोन केशर तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर में स्वीकृत एवं स्थापित है तथा ग्राम सैमलचौड/बैलपड़ाव में उक्त स्टोन केशरों के नाम कोई भी खनन अनुज्ञाये वर्तमान मे स्वीकृत नही है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी कालादूंगी के पत्र संख्या 357/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मे उत्तरदाता संख्या 7 से 10 एवं याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12.2021 को कार्यालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसका विवरण पृथक से संलग्न है। स्थलीय निरीक्षण आख्याये निम्नवत है:-

01:- श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड तहसील कालादूंगी के पक्ष मे स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व



उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237-35,214.00-2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक 1)।

02:- श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:- कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है0, खाता संख्या 85 के , खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई X 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग

पर बसमेंट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320-1,44,693-10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात् रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेंट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 2)।

03- श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा:- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021 -22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एवं खसरा संख्या 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रक्वा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2161/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष में ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूंगी में 2.430 है० भूमि में समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

04:- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा:- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू०ख०ई०/खनन अनुज्ञा/2021-22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रक्वा 1.253 है०, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रक्वा 1.521 है०, खसरा संख्या 230/3 रक्वा 0.996 है०, खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रक्वा 0.032 है०, खाता संख्या 70 के रक्वा 229/5/1 रक्वा 1.215 है० भूमि कुल 5.017 है० भूमि मध्ये रक्वा 2.470 है० भूमि में (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर०बी०एम० की स्वीकृति के संबध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2140/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम के पक्ष में ग्राम सेमलचौड में 2.470 है० भूमि में समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स, 160/1समि०, 161/3मि०, 173/2मि०, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है० मध्ये 2.337 है० भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर०बी०एम० की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है० क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते

हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंचातीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 5)।

अतः तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र- बैलपड़ाव

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी

(अपर निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

(उपजिलाधिकारी)
कालादूगी

कार्यालय उपजिलाधिकारी कालाढूंगी जिला नैनीताल
पत्र संख्या:- 366/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने आदेश संख्या:-1810/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एवम् अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 पारित आदेश के सम्बन्ध में महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा 1. हरकेश कुमार पुत्र हंसराज निवासी ग्राम गजरीला, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (याचिका कर्ता) 2. संचालक, एल0एस0सी0 स्टोन केशर, ग्राम गोबरा तहसील बाजपुर (उत्तरदाता संख्या 7) 3. संचालक, एल0एस0सी0 स्टोन केशर, ग्राम बन्नाखेड़ा, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-8) 4. संचालक, दाबका स्टोन केशर ग्राम गजरीला, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-9) 5. संचालक, ओंकार स्टोन केशर, ग्राम इटावा, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या-10) को दिनांक 27.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किये गये।

उक्त नोटिस के क्रम में केवल उत्तरदाता संख्या 7 व 8 एल0एस0सी0 इन्फाटेक लि0 ग्राम गोबरा एवं ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.12.2021 के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त न ही याचिका कर्ता हरकेश कुमार एवं अन्य उत्तरदाता दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित नहीं हुए एवं न ही उनके द्वारा कोई लिखित कथन प्रस्तुत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बेलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी के साथ ग्राम रोगलचौड़ में 01. श्री करण सिंह पुत्र सुब्बा सिंह निवासी ग्राम समतलीचौड़ तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेंट अनुज्ञा 02. श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम रूत कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेंट अनुज्ञा 03. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम रोगलचौड़ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा 04. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्द्वौड़ तहसील लालकुर्आ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा 05. श्री हिमात सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष में ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा का निरीक्षण किया गया। (निरीक्षण रिपोर्ट पृथक से संलग्न है)

अतः उक्तानुसार जॉब आख्या गय संलग्नों सहित सावर सेवा में प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(रेखा कोहली)
उप जिलाधिकारी,
कालाढूंगी।

:- नोटिस :-

सीएमएनए-28

श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह,
निवासी ग्राम सैमलचौड़,
तहसील कालादूँगी,
जनपद नैनीताल।

उप जिलाधिकारी, कालादूँगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अगवत कराया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश व तदक्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1810/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के साथ ग्राम सैमलचौड़ व ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा एवम समतलीकरण अनुज्ञाओं का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालादूँगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालादूँगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैंक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई x 12 मीटर चौड़ाई x 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 x 12 मी0 x 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैंक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.01.2022 को आपको प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैंक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237-35,214.00-2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैंक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की

दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली 2005 यथा संशोधित, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन है।

अतः आप दिनोंक 25.11.2021 तथा 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण में पाये गये अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नही हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशो/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।


(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 62 /30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 07 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- तहसीलदार, कालाढूँगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी,
नैनीताल

-: आदेश :-

उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/ 2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अगवत कराया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम् राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश व तदक्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1810/30-जी.सी./2021- 22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी क साथ ग्राम सेमलचौड़ में 01. करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा, 02. श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी, तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा, 03. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा, 04. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम, निवासी ग्राम दुगौपालपुर, मोतलराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा, 05. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी के पक्ष में ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है :-

01:- श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा :-
इस कार्यालय के आदेश संख्या 1644/30- जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई x 12 मीटर चौड़ाई x 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 x 12 मी0 x 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237-35,214.00-2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

02:- श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा :-
इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30- जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.678 है0, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई में स्वैल

फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात् ₹0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से ₹0 31,04,640.00 (₹0 इक्कीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320-1,44,693-10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात् ₹0 350 प्रति टन की दर से ₹0 15,44,21,400.00 (₹0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

03- श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा :- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/ भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021-22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एवं खसरा संख्या 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रक्वा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबंध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2161/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड तहसील कालादूंगी मे 2.430 है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

04:- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुआ के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा :- कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल, स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021-22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रक्वा 1.253 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रक्वा 1.521 है0, खसरा संख्या 230/3 रक्वा 0.996 है0, खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रक्वा 0.032 है0, खाता संख्या 70 के रक्वा 229/5/1 रक्वा 1.215 है0 भूमि कुल 5.017 है0 भूमि मध्ये रक्वा 2.470 है0 भूमि में (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबंध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2140/7-ए-1/2021-05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड मे 2.470 है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालादूंगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी

1909/VII-A-1/2021/5-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्लैब फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्लैब फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्लैब फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंनालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

अतः उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर तथा बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी अनुमति में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने व पूर्व में भी अवैध खनन में संलिप्तता पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस दिनांकित 05.01.2022 के आधार पर इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 व 1644/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर व श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्या सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी को जारी की गई बेसमेन्ट खुदान की अनुमति को, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। प्रश्नगत क्षेत्र की परिधि में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत अनुज्ञाधारक द्वारा फेंसिंग करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जुर्माने की धनराशि जमा होने तक प्रश्नगत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य न किया जाये। तदनुसार प्रश्नगत क्षेत्र सीज समझा जाये। अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल उक्तानुसार फेंसिंग/सीज की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

५२५
(धाराज सिंह गर्ब्याल)

जिलाधिकारी,

नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1856 /30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 07 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, औद्योगिक अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी।
- 3- अपर निदेशक, खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
- 4- श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।
- 5- श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्या सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी।
- 6- हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी।

५२५
जिलाधिकारी,

नैनीताल

संख्या : 25/30-जी.सी./2022-23

दिनांक : 03 नवम्बर, 2022

विषय : सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार बाड़ लगाये जाने तथा स्वीकृत स्थल में मिट्टी का भरान कर उक्त स्थल को समतल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 518/भू.खनि.ई./खनन अनु./2022-23 दिनांक 27 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जनपद नैनीताल के तहसील कालादूँगी एवम् रामनगर में खनन अनुज्ञाएँ स्वीकृत की गयी थीं, जिसके कतिपय अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित उद्देश्य एवम् प्रतिबंधित शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, जिस हेतु उनके कार्यालय द्वारा समय-समय पर अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में चारों ओर चार दीवानी निर्माण या तार बाड़ करने तथा निकाले गये उपखनिज की जगह मिट्टी भरान करने व उक्त स्थल को समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। अनुज्ञाधारकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
2	हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-पत्तापानी/कालादूँगी)
3	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी दुर्गापालपुर, लालकुआँ, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
4	कृपाल सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम जीवानन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सकखनपुर/रामनगर)
5	अमरीक सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम बैलजूड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सकखनपुर/रामनगर)
6	गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी बिशनपुर, कालादूँगी, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-उदयपुरी/कालादूँगी)
7	रविन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह, ग्राम बन्दरजूड़ा, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-बन्दरजूड़ा/कालादूँगी)
8	कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी सूद कॉलोनी, बाजपुर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
9	करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)

कई बार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर चार दीवारी निर्माण/तार बाड़ व खोदे गये गड्ढे में मिट्टी भरान कर उक्त स्थल को समतल नहीं किया गया है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थलों (गड्ढों) में चार दीवारी/तार बाड़ न होने पर अनाधिकृत प्रवेश होने व जान माल की हानि/दुर्घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर चार दीवारी/तार बाड़ होना अत्यन्त आवश्यक है। नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। तदक्रम में आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या के क्रम में उक्त अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 344/30-जी.सी./2022-23 दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परन्तु उक्त अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ अथवा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गड्ढों को भरे जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देशा प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय
L.R.
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: ०५ जनवरी, 2022

विषय: श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को जनपद नैनीताल, तहसील कालादूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 168, 169, 170 कुल रकवा 1.718 है० मध्ये रकवा 0.800 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4156/खनन/भू०खनि०ई०/उ०सि०न०/2021-22, दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-3 के अतिरिक्त प्रावधानानुसार श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को जनपद नैनीताल, तहसील कालादूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 168, 169, 170 कुल रकवा 1.718 है० मध्ये रकवा 0.800 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज (बालू, बजरी, बॉल्डर) की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत भूमि में सहमति प्राप्त भूमि के बंधक मुक्त होने के उपरान्त ही उपखनिज की निकासी की जायेगी।
2. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
3. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-खनना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
4. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 1,28,000 घनमीटर आर०बी०एम० की रायल्टी रु 1,97,12,000/- (रु एक करोड़ सत्तानब्बे लाख बारह हजार मात्र), 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रु 29,56,800/- (रु उनतीस लाख छप्पन हजार आठ सौ मात्र) तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रु 3,94,240/- (रु तीन लाख चौरानब्बे हजार दो सौ चालीस मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की धनराशि रु 49,28,000/- (रु उनपचास लाख अट्ठाईस हजार मात्र) का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
5. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

7. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।
8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चाहरदीवारी या तार-बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
10. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा० उच्चतम न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या: 28 (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. जिला खान अधिकारी, नैनीताल।
3. श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

संयुक्त निरीक्षण आख्या


कार्यालय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 1910/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 15.03.2022 के अनुपालन में अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म एकाई एवं उपजिलाधिकारी कालाढ़ूँगी के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा आज दिनांक 26.03.2022 को ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत समतलीकरण में श्री सुखराज सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर के पक्ष में ग्राम सैमलचौड तहसील कालाढ़ूँगी जिला नैनीताल अन्तर्गत निजी नाप भूमि में समतलीकरण अनुज्ञा स्थल एवं श्री गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह ग्राम विशनपुर तहसील कालाढ़ूँगी जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम विशनपुर तहसील कालाढ़ूँगी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा स्थल का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। जिसमें उपरोक्त अनुज्ञा धारकों के द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत ही कार्य किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त श्री काबुल सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम कनकपुर तहसील कालाढ़ूँगी जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम कनकपुर तहसील कालाढ़ूँगी के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत ही खनन कार्य किया गया है। जिसकी स्वीकृत अनुज्ञा अवधि दिनांक 09.03.2022 को समाप्त हो चुकी है।


अतः तदनुसार निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-बैलपडाव/बन्दरजूडा
तहसील कालाढ़ूँगी।



स्वीक्षक
भूतत्व एवं खनन इकाई
हल्द्वानी।



अपर निदेशक
भूतत्व एवं खनन इकाई
हल्द्वानी।



उपजिलाधिकारी
कालाढ़ूँगी।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन,
देरहादून।

संख्या : 25/30-जी.सी./2022-23

दिनांक : 03 नवम्बर, 2022

विषय : सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार बाड़ लगाये जाने तथा स्वीकृत स्थल में मिट्टी का भरण कर उक्त स्थल को समतल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 518/भू.खनि.ई./खनन अनु./2022-23 दिनांक 27 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जनपद नैनीताल के तहसील कालादूँगी एवम् रामनगर में खनन अनुज्ञाएँ स्वीकृत की गयी थीं, जिसके कतिपय अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित उद्देश्य एवम् प्रतिबंधित शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, जिस हेतु उनके कार्यालय द्वारा समय-समय पर अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में चारों ओर चार दीवानी निर्माण या तार बाड़ करने तथा निकाले गये उपखनिज की जगह मिट्टी भरण करने व उक्त स्थल को समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। अनुज्ञाधारकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
2	हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-पत्तापानी/कालादूँगी)
3	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी दुर्गापालपुर, लालकुआँ, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
4	कृपाल सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम जीवानन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सखनपुर/रामनगर)
5	अमरीक सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम बैलजूडी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सखनपुर/रामनगर)
6	गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी बिशनपुर, कालादूँगी, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-उदयपुरी/कालादूँगी)
7	रविन्द्र सिंह पुत्र श्री उमद सिंह, ग्राम बन्दरजूड़ा, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-बन्दरजूड़ा/कालादूँगी)
8	कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी सूद कॉलोनी, बाजपुर, उ.सि.नगर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)
9	करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, कालादूँगी	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालादूँगी)

कई बार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर चार दीवारी निर्माण/तार बाड़ व खोदे गये गड्ढे में मिट्टी भरण कर उक्त स्थल को समतल नहीं किया गया है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थलों (गड्ढों) में चार दीवारी/तार बाड़ न होने पर अनाधिकृत प्रवेश होने व जान माल की हानि/दुर्घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर चार दीवारी/तार बाड़ होना अत्यन्त आवश्यक है। नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। तदक्रम में आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या के क्रम में उक्त अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 344/30-जी.सी./2022-23 दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परन्तु उक्त अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ अथवा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गड्ढों को भरे जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देशा प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल



Analyzing for an Assured Future

NOIDA TESTING LABORATORIES

(A Government of India Approved Testing Laboratory)
(An ISO : 9001 : 2015, ISO 45001 : 2018 (OH&S) Certified & NABL Accredited Laboratory)
MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

TEST CERTIFICATE

Issued To: M/s UKPCB Regional Office –
Kashipur, Uttarakhand.

Report Code : AAQ-101122-02
ULR No. : TC6814220000011109 F
Test Report of : Ambient Air Quality
Service Request No : NTL/SRF/11/22-06
Service Request Date : 01/11/2022
Report Issue Date : 15/11/2022

SAMPLING & ANALYSIS DATA

Sample Drawn By : NTL Representative
Sample Drawn On : 09/11/2022 to 10/11/2022
Date of Sample Received : 10/11/2022
Sample Description : Ambient Air
Sampling Location : Sambhal Chod Bell Padav Bazpur Road
Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08
Analysis Duration : 10/11/2022 to 15/11/2022
Average Flow Rate of SPM (m³/min.) : 1.13
Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0
Sampling Instrument Used : Respirable Dust Sampler (PM₁₀) Fine Particulate Sampler (PM_{2.5}) With Gaseous Attachment
Weather Condition : Clear

TEST RESULT

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Particulate Matter (PM ₁₀)	IS:5182 Part-XXIII	92.8	µg/m ³	100.0
2.	Particulate Matter (PM _{2.5})	IS:5182 Part-XXIV	52.0	µg/m ³	60.0
3.	Sulphur dioxide (as SO ₂)	IS:5182 Part-II	14.8	µg/m ³	80.0
4.	Nitrogen dioxide (as NO ₂)	IS:5182 Part-VI	28.5	µg/m ³	80.0
5.	Carbon monoxide (as CO)	IS:5182 Part-X	1.10	mg/m ³	4.0
6.	Lead (as Pb)	IS:5182 Part-XXII	BDL(<0.1)	µg/m ³	1.0
7.	Nickel (as Ni)	APHA-AIR420	BDL(<20.0)	ng/m ³	20.0
8.	Arsenic (as As)	APHA-AIR302	BDL(<5.0)	ng/m ³	6.0
9.	Ozone (as O ₃)	IS:5182 Part-IX	BDL(29.0)	µg/m ³	180.0
10.	Ammonia (as NH ₃)	IS:5182 Part-XXV	BDL(<20.0)	µg/m ³	400.0
11.	Benzene (as C ₆ H ₆)	IS:5182 Part-XI	BDL(<1.0)	µg/m ³	5.0
12.	Benzo(α) Pyrine- Particulate phase only	IS:5182 Part-XII	BDL< 1.00	µg/m ³	1.0

Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless specified by the customer.

Checked BY
A. Jais

AUTHORIZED SIGNATORY

Laboratory : GT-20, Sector-117, NOIDA, Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office :

HARIDWAR | RUDRAPUR | CHANDIGARH | DEHRADUN | PUNE

E.: noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www.noidalabs.com